



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14012022-232654  
CG-MH-E-14012022-232654

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:  
परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले निर्गमों (इश्यू) के मामले में, विनियम 32 के उप-विनियम (3क), विनियम 49, विनियम 129, विनियम 145, अनुसूची-XIII के भाग-क के खंड (10) तथा खंड (15) और अनुसूची-XIV के संबंध में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -  
I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,  
(क) खंड (द) में,  
i. शब्दों तथा चिह्नों "या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)" आ जाएंगे।

ii. परंतुक में, शब्दों "या प्रस्ताव दस्तावेज" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न ", प्रस्ताव दस्तावेज या प्रस्ताव-पत्र" आ जाएंगे।

(ख) खंड (डड) में, शब्द, चिह्न तथा अक्षर "के विनियम 2(1)(थ)" हट जाएंगे।

(ग) खंड (ठठठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ठठठ) "इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)" का अर्थ है - वह व्यक्ति या निर्गमकर्ता (इश्युअर), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वालों (कपटी उधारकर्ताओं) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित) या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, इरादतन चूककर्ता या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाले (कपटी उधारकर्ता) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।"

II. विनियम 5 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों "इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)" आ जाएंगे।

III. विनियम 7 में, उप-विनियम (2) के बाद,

(क) स्पष्टीकरण में, शब्दों "इस विनियम के प्रयोजनार्थ" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "विनियम 6 और विनियम 7 के प्रयोजनार्थ" आ जाएंगे।

(ख) निम्नलिखित उप-विनियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जुटाई जाने वाली रकम में से:

(i) साधारण कारपोरेट प्रयोजनों के लिए, और

(ii) ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिनके तहत में निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो],

पैंतीस प्रतिशत से अधिक रकम नहीं रखी जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे उद्देश्यों के लिए जुटाई गई रकम, जिनके तहत निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो], निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जाने वाली रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसी सीमाएँ तब लागू नहीं होंगी, जब प्रस्तावित अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का नीतिगत (स्ट्रेटेजिक) उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया हो और ऐसे अर्जनों या निवेश के बारे में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर), प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय कर दिए जाएं।"

IV. विनियम 8 में, स्पष्टीकरण के बाद दिए हुए परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत" हट जाएंगे।

V. विनियम 8 के बाद और विनियम 9 से पहले, निम्नलिखित विनियम (8क) आ जाएगा, अर्थात्,-

"विनियम 6 के उप-विनियम (2) के तहत लाए जाने वाले निर्गमों (इश्यू) के संबंध में किए जाने वाले 'विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) हेतु अतिरिक्त शर्तें

**8क.** उन निर्गमों (इश्यू) के मामले में, जिनके संबंध में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) इन विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के तहत दाखिल किया जाता हो:

क. शेयरधारक (शेयरधारकों) [जिनके पास उनकी अपनी या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाकर निर्गमकर्ता (इश्युअर) की निर्गम (इश्यू) से पूर्व की शेयरधारिता (पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर) बीस प्रतिशत से अधिक हो] द्वारा जनता को 'विक्रय के लिए

प्रस्तावित' शेयर उनकी निर्गम से पूर्व की शेयरधारिता (पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर) के पचास प्रतिशत से अधिक न हों;

ख. शेयरधारक (शेयरधारकों) [जिनके पास उनकी अपनी या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाकर निर्गमकर्ता (इश्युअर) की निर्गम (इश्यू) से पूर्व की शेयरधारिता (पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर) बीस प्रतिशत से अधिक हो] द्वारा जनता को 'विक्रय के लिए प्रस्तावित' शेयर उनकी निर्गम से पूर्व की शेयरधारिता (पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर) के पचास प्रतिशत से अधिक न हों;

ग. उन शेयरधारक (शेयरधारकों) के लिए, [जिनके पास उनकी अपनी या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाकर निर्गमकर्ता (इश्युअर) की निर्गम (इश्यू) से पूर्व की शेयरधारिता (पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर) बीस प्रतिशत से अधिक हो] इन विनियमों के विनियम 17 में दिए हुए अवरुद्धता (लॉक-इन) के प्रावधान लागू होंगे, और उन्हें इन विनियमों के विनियम 17 के खंड (ग) के अनुसार अवरुद्धता (लॉक-इन) से छूट नहीं मिलेगी।"

#### VI. विनियम 15 में,

- (क) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक के क्रम सं. (i) में, शब्दों "आनुकल्पिक निवेश निधियाँ" के बाद, शब्द तथा चिह्न "या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर) या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्थाएँ (पब्लिक फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियाँ" आ जाएंगे।
- (ख) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक के क्रम सं.(ii) में, शब्द, चिह्न तथा अंक "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत या" हट जाएंगे।
- (ग) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्दों "आनुकल्पिक निवेश निधियों" के बाद, शब्द तथा चिह्न "या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर) या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या लोक वित्तीय संस्थाओं (पब्लिक फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों" आ जाएंगे।
- (घ) उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न तथा अंक "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत" हट जाएंगे।

#### VII. विनियम 17 में,

- (क) खंड (ग) में, परंतुक में, चिह्न, शब्द तथा अंक "(प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की)" जोड़े जाएंगे।
- (ख) खंड (ग) के बाद, मौजूदा स्पष्टीकरण (i) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा और स्पष्टीकरण में दिए हुए शब्दों "एक वर्ष की अवधि" के स्थान पर, शब्द "छह महीने की अवधि" आ जाएंगे।
- (ग) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (i) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- "(ii) खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, यदि ऐसे इक्विटी शेयर बोनस निर्गम (बोनस इश्यू) लाए जाने के बाद जारी किए गए हों, तो छह महीने की अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ ऐसे इक्विटी शेयरों को धारण करने की अवधि जिनकी एवज में बोनस निर्गम लाया गया हो और जारी किए गए बोनस इक्विटी शेयरों को धारण करने की अवधि पर एक साथ विचार किया जाएगा, बशर्ते कि:

(क) जिस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) बोर्ड के पास दाखिल किया जाता हो उस वित्तीय वर्ष के पहले के वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में दर्ज खुली आरक्षितियों (फ्री रिजर्व्स) और शेयर प्रीमियम में से बोनस शेयर जारी किए जाएं; और

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों (रीवैल्यूएशन रिजर्व्स) या अप्राप्त लाभों का उपयोग करके बोनस शेयर जारी न किए जाएं।"

#### VIII. विनियम 23 में, उप-विनियम (5) में, परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक "या कंपनी अधिनियम, 1956 (जहाँ तक लागू हो)" हट जाएंगे।

#### IX. विनियम 29 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“परंतु यह कि मूल्य दायरे की उच्चतम सीमा निम्नतम कीमत की कम से कम एक सौ पाँच प्रतिशत होगी।”

X. विनियम 32 में,

(क) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(3क) बुक-बिल्डिंग (बही-निर्माण) की प्रक्रिया के माध्यम से लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) में, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को आबंटन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार दो लाख रुपये से ज्यादा किंतु दस लाख रुपये तक का हो;

(ख) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार दस लाख रुपये से ज्यादा का हो:

परंतु यह कि खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित उप-श्रेणियों (उप-वर्गों) में से किसी भी श्रेणी (वर्ग) के अंतर्गत आबंटन पूरा न हुआ हो, तो गैर-संस्थागत निवेशकों की किसी अन्य उप-श्रेणी (उप-वर्ग) के आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा।”

(ख) उप-विनियम (4) में, खंड (ii) में, उप-खंड (i) और (ii), उप-खंड (क) और (ख) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे।

XI. विनियम 40 में, उप-विनियम (1) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “तो वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के अनुसार हामीदारों को नियुक्त करेगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “तो वह हामीदारों के तौर पर कार्य करने के लिए, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंकरों (बैंककारों) या स्टॉक दलालों को नियुक्त करेगा” आ जाएंगे।

XII. विनियम 41 में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) लोक वित्तीय संस्था द्वारा या निर्गमकर्ता के बैंककारों के रूप में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाएगा:” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) द्वारा किया जाएगा:” आ जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, चिह्नों तथा शब्दों “[उस पैसे (प्रोसीड्स) को छोड़कर जो साधारण कारपोरेट प्रयोजनों हेतु जुटाया गया हो] के कम से कम पचानवे प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “के सौ प्रतिशत” आ जाएंगे।

XIII. विनियम 45 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे।

XIV. विनियम 49 में,

(क) उप-विनियम (3) में, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों” के बाद और शब्दों “और एंकर निवेशकों” से पहले, चिह्न तथा शब्द “, गैर-संस्थागत निवेशकों” जोड़े जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (4क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(4क) गैर-संस्थागत निवेशक को आवेदन के न्यूनतम आकार से कम की निर्धारित प्रतिभूतियों का आबंटन नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में शेयर उपलब्ध रहें, और शेष शेयरों (यदि कोई हों) का आबंटन इन विनियमों की अनुसूची-XIII में इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।”

XV. विनियम 53 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “सात दिनों” और शब्दों “आठ दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे, और शब्द “आठवें दिन” के स्थान पर शब्द “चौथे दिन” आ जाएंगे।

XVI. विनियम 57 में, उप-विनियम (7) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अध्याय-VII” के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक “इन विनियमों के अध्याय-V” आ जाएंगे।

## XVII. विनियम 62 में,

(क) उप-विनियम (2) के बाद और उप-विनियम (3) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जुटाई जाने वाली रकम में से:

(i) साधारण कारपोरेट प्रयोजनों के लिए, और

(ii) ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिनके तहत में निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो],

पैंतीस प्रतिशत से अधिक रकम नहीं रखी जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे उद्देश्यों के लिए जुटाई गई रकम, जिनके तहत निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो], निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जाने वाली रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसी सीमाएँ तब लागू नहीं होंगी, जब प्रस्तावित अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का नीतिगत (स्ट्रेटेजिक) उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया हो और ऐसे अर्जनों या निवेश के बारे में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर), प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय कर दिए जाएँ।”

(ख) उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिहनों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला हो)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) हो या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाले (कपटी उधारकर्ता) हो” आ जाएंगे।

XVIII. विनियम 69 में, उप-विनियम (5) में, परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक “या कंपनी अधिनियम, 1956 (जहाँ तक लागू हो)” हट जाएंगे।

XIX. विनियम 70 में, उप-विनियम (6) में, शब्दों तथा चिहनों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएंगे।

XX. विनियम 74 में, उप-विनियम (2) में, शब्द “या वारंटों” हट जाएंगे।

XXI. विनियम 81 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिहनों तथा अंक “तो वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के अनुसार हामीदारों को नियुक्त करेगा।” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “तो वह हामीदारों के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंकरों (बैंककारों) या स्टॉक दलालों को नियुक्त करेगा:” आ जाएंगे।

## XXII. विनियम 82 में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिहनों “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) लोक वित्तीय संस्था द्वारा या निर्गमकर्ता के बैंककारों के रूप में प्रस्ताव-पत्र में उल्लिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाएगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) द्वारा किया जाएगा” आ जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों “कम से कम पचानवे प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “सौ प्रतिशत” आ जाएंगे, और चिह्न तथा शब्द “[उस पैसे (प्रोसीड्स) को छोड़कर जो साधारण कारपोरेट प्रयोजनों हेतु जुटाया गया हो]” हट जाएंगे।

XXIII. विनियम 86 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे।

XXIV. विनियम 87 में, शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “सात दिनों” आ जाएंगे।

- XXV. विनियम 93 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्नों “आवेदकों को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त न हो जाएँ, उनके डीमैट खाते में जमा (क्रेडिट) न हो जाए या आवेदन की रकम लौटा न दी जाए और निर्गमकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) न कर लिया जाए” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “आवेदकों के डीमैट खाते में जमा (क्रेडिट) प्राप्त न हो जाए” आ जाएंगे।
- XXVI. विनियम 94 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “सात दिनों” और “आठ दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे, और शब्दों “आठवें दिन” के स्थान पर शब्द “चौथे दिन” आ जाएंगे।
- XXVII. विनियम 99 में,
- (क) उप-विनियम (1) में, शब्दों “जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो” से पहले दिए हुए चिह्न तथा अंक “(1)” हट जाएंगे।
- (ख) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-  
 “(ग) कम से कम ऐसे एक राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निर्गमकर्ता (इश्युअर) की सार्वजनिक शेयरधारिता का औसत बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) कम से कम दो सौ पचास करोड़ रुपये का हो, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध हों;”
- (ग) खंड (ज) में, उप-खंड (i) में, शब्दों “कार्यवाही के तहत बोर्ड” के बाद, शब्द तथा चिह्न “या न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर)” आ जाएंगे।
- (घ) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-  
 “(झ) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) अथवा निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) या निदेशक ने संदर्भ तारीख (रेफ़रेंस डेट) से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के किन्हीं कथित उल्लंघनों का निपटारा (सेटलमेंट) बोर्ड की निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी व्यवस्था के जरिए करा लिया हो, तो ऐसे में प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में निपटारे के आदेश का इस प्रकार पालन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया जाएगा;”
- XXVIII. विनियम 102 में, खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करनेवाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएंगे।
- XXIX. विनियम 103 में, उप-विनियम (1) तथा (2), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,-  
 “(1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) लाने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने संबंधित प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पहले की एक वर्ष की अवधि के दौरान अपना नाम न बदला हो:  
 परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता ने संबंधित प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पहले की एक वर्ष की अवधि के दौरान अपना नाम बदला हो, तो ऐसा निर्गमकर्ता बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) तभी लाएगा जब पिछले पूरे एक वर्ष में उसकी कम से कम पचास प्रतिशत आमदनी उसके नए नाम से किए गए क्रियाकलाप से हुई हो।  
 (2) जो निर्गमकर्ता उप-विनियम (1) के परंतुक में दी हुई शर्त पूरी नहीं करता, वह बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) केवल तभी लाएगा जब निर्गम (इश्यू) बुक बिल्डिंग (बही-निर्माण) की प्रक्रिया के जरिए लाया जाए और निर्गमकर्ता यह वचन दे कि शुद्ध प्रस्ताव (नेट ऑफर) का कम से कम पचास प्रतिशत अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वॉलिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स) को आबंटित (अलॉट) किया जाएगा और यदि वह अर्हित संस्थागत क्रेताओं को इस प्रकार न्यूनतम आबंटन न कर पाया, तो ऐसे में लगाया गया पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा (अभिदान की पूरी रकम लौटा दी जाएगी)।”
- XXX. विनियम 104 में,
- (क) उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-  
 “स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ, “विशेष परियोजना में पैसा लगाने” का अर्थ है – केवल पूंजीगत व्यय हेतु पैसा लगाना।”

(ख) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जुटाई जाने वाली रकम में से:

(i) साधारण कारपोरेट प्रयोजनों के लिए, और

(ii) ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिनके तहत में निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो],

पैंतीस प्रतिशत से अधिक रकम नहीं रखी जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे उद्देश्यों के लिए जुटाई गई रकम, जिनके तहत निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो], निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जाने वाली रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसी सीमाएँ तब लागू नहीं होंगी, जब प्रस्तावित अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का नीतिगत (स्ट्रेटिजिक) उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया हो और ऐसे अर्जनों या निवेश के बारे में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर), प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय कर दिए जाएँ।”

XXXI. विनियम 105 में,

(क) पहला परंतुक, मौजूदा दूसरे परंतुक के बाद तथा स्पष्टीकरण से पहले डाला जाएगा।

(ख) स्पष्टीकरण के बाद दिए हुए परंतुक में, खंड (ख) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत” हट जाएंगे।

XXXII. विनियम 114 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत” हट जाएंगे।

XXXIII. विनियम 127 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) की उच्चतम सीमा निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) की कम से कम एक सौ पाँच प्रतिशत होगी।”

XXXIV. विनियम 129 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(3क) बुक-बिल्डिंग (बही-निर्माण) की प्रक्रिया के माध्यम से लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) में, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को आबंटन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार दो लाख रुपये से ज्यादा किंतु दस लाख रुपये तक का हो;

(ख) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार दस लाख रुपये से ज्यादा का हो:

परंतु यह कि खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित उप-श्रेणियों (उप-वर्गों) में से किसी भी श्रेणी (वर्ग) के अंतर्गत आबंटन पूरा न हुआ हो, तो गैर-संस्थागत निवेशकों की किसी अन्य उप-श्रेणी (उप-वर्ग) के आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा।”

XXXV. विनियम 136 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “तो वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के अनुसार हामीदारों को नियुक्त करेगा।” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “तो वह हामीदारों के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेन्ट बैंकरों (बैंककारों) या स्टॉक दलालों को नियुक्त करेगा” आ जाएंगे।

XXXVI. विनियम 137 में,

- (क) उप-विनियम (1), शब्दों तथा चिह्नों “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) लोक वित्तीय संस्था द्वारा या निर्गमकर्ता के बैंककारों के रूप में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाएगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) द्वारा किया जाएगा” आ जाएंगे।
- (ख) उप-विनियम (2) में, चिह्नों तथा शब्दों “[उस पैसे (प्रोसीड्स) को छोड़कर जो साधारण कारपोरेट प्रयोजनों हेतु जुटाया गया हो] के कम से कम पचानवे प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “के सौ प्रतिशत” आ जाएंगे।

XXXVII. विनियम 141 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे।

XXXVIII. विनियम 145 में,

- (क) उप-विनियम (3) में, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों” के बाद और शब्दों “और एंकर निवेशकों” से पहले, चिह्न तथा शब्द “, गैर-संस्थागत निवेशकों” जोड़े जाएंगे;
- (ख) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (4क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(4क) गैर-संस्थागत निवेशक को आवेदन के न्यूनतम आकार से कम की निर्धारित प्रतिभूतियों का आबंटन नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में शेयर उपलब्ध रहें, और शेष शेयरों (यदि कोई हों) का आबंटन इन विनियमों की अनुसूची-XIII में इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।”

XXXIX. विनियम 149 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “सात दिनों” के स्थान पर शब्द “चार दिनों” आ जाएंगे, और शब्दों “आठवें दिन” के स्थान पर शब्द “चौथे दिन” आ जाएंगे।

XL. विनियम 155 में,

- (क) खंड (च) में, परंतुक में, शब्दों “दाखिल करते समय ऐसे प्रावधानों का पालन कर लिया हो” से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।
- (ख) खंड (च) में, परंतुक में, शब्दों “इस प्रकार पालन न किए जाने के संबंध में” के बाद दिए हुए शब्दों तथा चिह्न “प्रस्ताव-पत्र” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।
- (ग) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) यह कि संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) तक निर्गमकर्ता (इश्युअर) या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई भी कारण बताओ सूचना [शास्ति (पेनल्टी) लगाए जाने संबंधी कार्यवाहियों को छोड़कर] न तो जारी की गई हो और न ही लंबित हो:

जिन मामलों में निर्गमकर्ता या उसके संप्रवर्तकों या पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ,

(i) बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा, शास्ति लगाए जाने संबंधी कार्यवाही के तहत, कारण बताओ सूचना (सूचनाएँ) जारी की गई हो (हों); या

(ii) बोर्ड द्वारा अभियोजन कार्यवाहियाँ शुरू की गई हों;

तो ऐसे में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में ऐसी कार्रवाई (कार्रवाइयों) के संबंध में जरूरी जानकारी प्रकट कर दिया जाए और साथ ही यह भी प्रकट कर दिया जाए कि इससे (इनसे) निर्गमकर्ता (इश्युअर) पर क्या असर पड़ सकता है;”

(घ) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) अथवा निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) या निदेशक ने संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान



प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के किन्हीं कथित उल्लंघनों का निपटारा (सेटलमेंट) बोर्ड की निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी व्यवस्था के जरिए करा लिया हो, तो ऐसे में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निपटारे के आदेश का इस प्रकार पालन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया जाएगा;”

(ड) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ठ) जिन वित्तीय वर्षों के लेखों (अकाउंट्स) को प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रकट किया जाता हो, उन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने के बाद जो टिप्पणियाँ आदि दी गई हों (यदि कोई दी गई हों)। उनके लिए निर्गमकर्ता (इश्युअर) रीस्टेटेड वित्तीय विवरण [लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने के बाद जो टिप्पणियाँ दी गई हों उनसे पड़ने वाले असर को समायोजित करके] प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, जिन टिप्पणियों आदि की वजह से यह तय न हो पाए कि इसका वित्तीय स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, उनके संबंध में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उपयुक्त रूप से प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया जाएगा।

**XLI. विनियम 158 में, उप-विनियम (1) में,**

(क) खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उप-धारा (3) एवं (4) या” हट जाएंगे।

(ख) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि इस अध्याय के प्रावधान ऋण के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन (कन्वर्जन) या संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट) के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के किसी विकल्प (ऑप्शन), जैसा खंड (क) में उल्लेख है, के प्रति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उप-धारा (3) के परंतुक के प्रावधानों के अध्यक्षीन, लागू होंगे।”

**XLII. विनियम 159 में,**

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों “जिसने सुसंगत तारीख से पहले के” के बाद दिए हुए शब्दों “छह महीनों” के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में, “किसी व्यक्ति ने सुसंगत तारीख से पहले के” के बाद दिए हुए शब्दों “छह महीनों” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिह्न “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;

(ग) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (4) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(4) निर्गमकर्ता अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) लाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके द्वारा बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों या निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) को कोई बकाया रकम अदा की जानी शेष हो:

परंतु यह कि उप-विनियम (4) उस मामले में लागू नहीं होगा जहाँ ऐसी बकाया रकम के संबंध में कोई अपील या कार्यवाही चल रही हो, जिसे, यथास्थिति, संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा मंजूर कर ली गई हो।”

**XLIII. विनियम 160 में,**

(क) खंड (ग) में, शब्दों “निर्गमकर्ता में प्रस्तावित” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता द्वारा उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सैद्धांतिक मंजूरी मांगने हेतु आवेदन करने से पहले” जोड़े जाएंगे;

(ख) खंड (ड) में, शब्दों “निर्गमकर्ता ने उन प्रस्तावित” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता द्वारा उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सैद्धांतिक मंजूरी मांगने हेतु आवेदन करने से पहले” जोड़े जाएंगे;

(ग) खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित खंड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(च) निर्गमकर्ता ने जिस स्टॉक एक्सचेंज (जिन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सैद्धांतिक मंजूरी मांगने हेतु उसी दिन आवेदन किया हो, जिस दिन साधारण बैठक [जिसमें विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी ली जानी हो] के संबंध में सूचना (नोटिस) भेजी गई हो।”

XLIV. विनियम 162 में,

(क) मौजूदा विनियम उप-विनियम (1) रूप में संख्यांकित हो जाएगा;

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (2) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2) आबंटिती (अलॉटी) द्वारा संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को उप-विनियम (1) में बताई गई अवधि के भीतर संपरिवर्तित करने के विकल्प का प्रयोग किए जाने पर, निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आबंटिती द्वारा इस प्रकार विकल्प का प्रयोग किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इक्विटी शेयरों का आबंटन हो जाए।”

XLV. विनियम 163 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (च) में, शब्दों “अंतिम रूप से नियंत्रण हो” के बाद दिए हुए निम्नलिखित शब्द और चिह्न हट जाएंगे:

“, अधिमानी निर्गम के पश्चात् की पूँजी का प्रतिशत जो उनके द्वारा धारित हो और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो”;

(ii) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड (चक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(चक) अधिमानी निर्गम के पश्चात् कितनी प्रतिशत पूँजी आबंटिती (आबंटितियों) के पास हो सकती है और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में होने वाला परिवर्तन, यदि कोई हो”;

(iii) खंड (झ) में, शब्दों और चिह्नों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” शब्द और चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)”।

(iv) खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित खंड (ज) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) अधिमानी निर्गमों के बाद आबंटिती (आबंटितियों) की मौजूदा और प्रस्तावित स्थिति क्या है, अर्थात् संप्रवर्तक है (हैं) या गैर-संप्रवर्तक।”;

(ख) उप-विनियम (2) में,

(i) शब्दों “बैठक के समक्ष” के बाद आने वाले और शब्दों “के प्रमाणपत्र” से पहले आने वाले शब्दों “अपने कानूनी लेखापरीक्षक” के स्थान पर शब्द “पेशेवर कंपनी सचिव” आ जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण.— उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, निर्गमकर्ता अपने वेबसाइट पर प्रमाणपत्र भी डलवाएगा और शेयरधारकों की साधारण बैठक (जिसमें प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार किया जाना हो) की सूचना में उसका लिंक भी देगा।”;

(ग) मौजूदा उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) निर्धारित प्रतिभूतियाँ नकद से भिन्न प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की एवज में अधिमानी आधार पर जारी की जा सकेंगी:

परंतु यह कि नकद से भिन्न प्रतिफल में स्वतंत्र रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ही शेयरों का स्वैप शामिल होगा, और जिसकी जानकारी उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) को दी जाएगी जहाँ निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों।”;

(घ) उप-विनियम (3) के मौजूदा परंतुक में, शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्द “कि” से पहले शब्द “और” जोड़ा जाएगा।

XLVI. विनियम 164 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

(i) शब्दों “सुसंगत तारीख तक” के बाद और शब्दों “या उससे अधिक” से पहले दिए हुए शब्दों “छब्बीस सप्ताहों” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;

(ii) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“क) सुसंगत तारीख से पहले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस); या”;

(iii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“ख) सुसंगत तारीख से पहले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की व्यापार (ट्रेडिंग) के 10 दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)।”;

(iv) खंड (ख) के बाद, उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) में कीमत निर्धारण करने का ऐसा तरीका बताया गया हो जिससे इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई कीमत से निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) अधिक हो जाती हो, तो ऐसे में उसे उन इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत मान लिया जाएगा जो अधिमानी निर्गम के अनुसरण में आबंटित किए जाने हों।”;

(ख) उप-विनियम (2) में,

(i) शब्दों “छब्बीस सप्ताहों” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 या” हट जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, शब्द “की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों” हट जाएंगे;

(iv) खंड (ग) में, शब्दों “मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों का औसत” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 10 दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)” आ जाएंगे;

(v) खंड (ग) के पश्चात्, उप-विनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) में कीमत निर्धारण करने का ऐसा तरीका बताया गया हो जिससे इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई कीमत से निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) अधिक हो जाती हो, तो ऐसे में उसे उन इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत मान लिया जाएगा जो अधिमानी निर्गम के अनुसरण में आबंटित किए जाने हों।”;

(ग) उप-विनियम (3) में,

(i) शब्दों “छब्बीस सप्ताहों” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;

- (ii) शब्दों और चिह्नों “मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों” के स्थान पर, शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)” आ जाएंगे;
- (iii) शब्दों “की तारीख से” के बाद और शब्दों “के पूरा होने” से पहले दिए हुए शब्दों “छब्बीस सप्ताहों” के स्थान पर शब्द, चिह्न और संख्या “व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों” आ जाएंगे;
- (iv) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) में कीमत निर्धारण करने का ऐसा तरीका बताया गया हो जिससे इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई कीमत से निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) अधिक हो जाती हो, तो ऐसे में उसे उन इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत मान लिया जाएगा जो अधिमानी निर्गम के अनुसरण में आबंटित किए जाने हों।”;

(घ) उप-विनियम (4) में,

(i) उप-विनियम (4) में दिया हुआ पैरा खंड (क) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा;

(ii) खंड (क) में,

क) शब्दों और चिह्नों “मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों का औसत” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “व्यापार (ट्रेडिंग) के 10 दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)” आ जाएंगे;

ख) शब्दों “से पहले के” के बाद और शब्दों “संबंधित इक्विटी” के बाद दिए हुए शब्द “दो सप्ताहों के दौरान” हट जाएंगे;

ग) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) में कीमत निर्धारण करने का ऐसा तरीका बताया गया हो जिससे इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई कीमत से निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) अधिक हो जाती हो, तो ऐसे में उसे उन इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत मान लिया जाएगा जो अधिमानी निर्गम के अनुसरण में आबंटित किए जाने हों।” ;

(iii) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड (ख) जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्,—

“(ख) कोई भी आबंटन, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे अर्हित संस्थागत क्रेता को नहीं किया जाएगा जो निर्गमकर्ता का संप्रवर्तक हो या उसके संप्रवर्तकों से संबंधित कोई व्यक्ति हो:

परंतु यह कि अर्हित संस्थागत क्रेता जो निर्गमकर्ता में कोई शेयर धारण न करता हो और जिसने उधारदाता की हैसियत से अधिकार अर्जित कर लिए हों, उसे संप्रवर्तकों से संबंधित व्यक्ति नहीं समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनार्थ, जिस अर्हित संस्थागत क्रेता के पास निम्नलिखित अधिकारों में से कोई भी अधिकार हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों से संबंधित व्यक्ति है:-

(क) संप्रवर्तकों या संप्रवर्तक समूह के साथ किए गए शेयरधारक करार या मतदान करार के तहत अधिकार;

(ख) निषेधाधिकार (वीटो अधिकार); या

(ग) निर्गमकर्ता के बोर्ड में किसी नामनिर्देशिनी (नामिनी) निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार।”;

(ङ) उप-विनियम (5) में, शब्दों “सुसंगत तारीख से पहले के” के बाद और शब्दों “के दौरान व्यापारित” से पहले दिए हुए शब्दों “बारह कलेंडर महीनों” के स्थान पर अंक, चिह्न और शब्द “240 व्यापार के दिनों (ट्रेडिंग डे)” आ जाएँगे;

(च) स्पष्टीकरण में, शब्दों “सुसंगत तारीख से पहले के” के बाद और “के दौरान दर्ज” से पहले दिए हुए शब्दों “छब्बीस सप्ताहों” के स्थान पर अंक, चिह्न और शब्द “90 व्यापार के दिनों (ट्रेडिंग डे)” आ जाएँगे।

XLVII. विनियम 164क में,

(क) शब्दों और चिह्नों “सुसंगत तारीख से पहले के दो सप्ताहों के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा भारत औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों के औसत से कम नहीं होगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “सुसंगत तारीख से पहले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की 10 व्यापार के दिनों (ट्रेडिंग डे) की मात्रा भारत औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)” आ जाएँगे;

(ख) शब्द “के पहले के दो सप्ताहों के दौरान” हट जाएँगे।

(ग) उप-विनियम (3) में, खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला)” के स्थान पर शब्द और चिह्न “इरादतन चूककर्ता या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएँगे।

XLVIII. विनियम 165 में, शब्द “स्वतंत्र” के बाद और शब्द “मूल्यांकक” से पहले, शब्द “रजिस्ट्रीकृत” जोड़ा जाएगा।

XLIX. विनियम 166 में, शब्द और अंक “विनियम 164 या विनियम 165” के स्थान पर शब्द, अंक और चिह्न “विनियम 164, 164क, 164ख या 165” आ जाएँगे।

L. विनियम 166 के बाद, निम्नलिखित विनियम 166क जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“कीमत-निर्धारण हेतु अन्य शर्तें

166क. (1) जिस किसी अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन हो सकता हो अथवा किसी आबंटिती या सामान्य मति से कार्य करने वाले आबंटितियों को निर्गम के बाद निर्गमकर्ता की पूर्णतः डाइल्यूटिड शेयर पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक का आबंटन हो सकता हो, उस अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के संबंध में स्वतंत्र रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की ओर से मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षित होगी और कीमत का निर्धारण करने के लिए उसी पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में निम्नतम कीमत वही होगी, जो विनियम 164 के, यथास्थिति, उप-विनियम (1), (2) या (4) के तहत निर्धारित की गई निम्नतम कीमत या स्वतंत्र रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित की गई कीमत या निर्गमकर्ता के संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन), यदि लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमत में से सबसे अधिक हो:

परंतु यह और कि यदि किसी प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट में कंट्रोल प्रीमियम के बारे में भी बताया जाएगा, जिसे परंतुक के अनुसार निर्धारित की गई कीमत के अलावा गिना जाएगा:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट निर्गमकर्ता के वेबसाइट पर डाली जाएगी और शेयरधारकों की साधारण बैठक बुलाए जाने के लिए दी जाने वाली सूचना (नोटिस) में उसका संदर्भ दिया जाएगा।

(2) जिस किसी अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन हो सकता हो, वह केवल निर्गमकर्ता के स्वतंत्र निदेशकों की समिति द्वारा तर्कसंगत सिफारिश किए जाने के बाद ही, अधिमानी निर्गम से संबंधित सभी पहलुओं (जिनमें कीमत-निर्धारण शामिल है) पर विचार करने के बाद ही लाया जाएगा, और उपरोक्त समिति की बैठक का वोटिंग पैटर्न शेयरधारकों की साधारण बैठक बुलाए जाने के लिए दी जाने वाली सूचना (नोटिस) में बताया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— उप-विनियम (2) में स्वतंत्र निदेशकों की जिस बैठक का जिक्र है उस बैठक में निर्गमकर्ता के बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहेंगे”;

L.I. विनियम 167 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

- (i) शब्दों "मंजूरी दिए जाने की तारीख से" के बाद और शब्दों "की अवधि के लिए रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्द "तीन वर्षों" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "18 महीने" आ जाएँगे;
- (ii) पहले परंतुक में, शब्दों "मंजूरी दिए जाने की तारीख से" के बाद और शब्दों "की अवधि के लिए रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्दों "तीन वर्षों" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "18 महीने" आ जाएँगे;
- (iii) दूसरे परंतुक में, शब्दों "मंजूरी दिए जाने की तारीख से" के बाद और शब्दों "के लिए रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "छह महीने" आ जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों "मंजूरी दिए जाने की तारीख से" के बाद और शब्दों "की अवधि के लिए रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "छह महीने" आ जाएँगे;

(ग) उप-विनियम (6) में,

- (i) शब्दों "मंजूरी दिए जाने की तारीख से" के बाद और शब्दों "की अवधि तक रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्दों "छह महीनों" के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक "व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों" आ जाएँगे।
- (ii) परंतुक में, शब्दों "आबंटन की तारीख से" के बाद और शब्दों "की अवधि तक रुद्ध" से पहले दिए हुए शब्दों "छह महीनों" के स्थान पर, शब्द "व्यापार (ट्रेडिंग) के 90 दिनों" आ जाएँगे।

(घ) उप-विनियम (6) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (7) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“(7) जो आबंटिती अधिमानी निर्गम के बाद नियंत्रण में परिवर्तन होने की वजह से संप्रवर्तक (प्रमोटर) बन गया हो, ऐसे आबंटिती के लिए अवरुद्धता (लॉक-इन) संबंधी अपेक्षाएँ वही होंगी, जो इस विनियम के तहत संप्रवर्तक (प्रमोटर) और संप्रवर्तक समूह पर लागू हैं।”

L.II. विनियम 167 के बाद, निम्नलिखित विनियम 167क जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“अवरुद्ध (लॉक-इन) निर्धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखना

167क. संप्रवर्तकों द्वारा धारित तथा इन विनियमों के प्रावधानों के तहत रुद्ध (लॉकड-इन) निर्धारित प्रतिभूतियों (एसआर इक्विटी शेयरों को छोड़कर) को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के लिए जमानत (कोलैटरल) के रूप में गिरवी रखा जा सकेगा:

परंतु यह कि निर्गमकर्ता या उसकी समनुषंगी (समनुषंगियों) को निर्गम के किसी एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्यों के संबंध में वित्तपोषण करने के लिए ऋण दिया गया हो और निर्धारित प्रतिभूतियों की गिरवी ऋण की मंजूरी की शर्तों में से एक हो:

परंतु यह और कि निर्धारित प्रतिभूतियों की अवरुद्धता (लॉक-इन) गिरवी को लागू कराए जाने के अनुसरण में जारी रहेगी और ऐसा अंतरिती (ट्रांसफरी / जिसे अंतरण किया गया हो) तब तक

निर्धारित प्रतिभूतियों का अंतरण (को ट्रांसफर) करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक इन विनियमों में दी हुई अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि समाप्त न हो जाए।”

LIII. विनियम 172 में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “के उप-खंड (ii)” हट जाएँगे।

(ख) खंड (ख) में, परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत” हट जाएँगे।

LIV. विनियम 175 में,

(क) उप-विनियम (2) में, शब्दों और चिह्न “अर्हित संस्था नियोजन,” के बाद शब्द तथा चिह्न “प्लेसमेंट (नियोजन) संबंधी प्रारंभिक दस्तावेज और” जोड़े जाएँगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों “इरादतन चूककर्ता” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएँगे।

LV. विनियम 198 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के अनुसार हामीदारों को नियुक्त करेगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “वह हामीदारों के तौर पर कार्य करने के लिए, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंकों (बैंककारों) या स्टॉक दलालों को नियुक्त करेगा” आ जाएँगे।

LVI. विनियम 201 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किए जाने के अध्यक्षीन, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) विनियम 6 के तहत बोर्ड द्वारा अभिमत जारी किए जाने की तारीख से बारह महीनों के भीतर खोला जाएगा।”

LVII. विनियम 202 में,

(क) उप-विनियम (2) में, खंड (ख) में, शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएँगे।

(ख) उप-विनियम (3) में, खंड (क) में और खंड (ख) में, दिए हुए शब्दों “पंद्रह दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएँगे।

LVIII. विनियम 208 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “सात दिनों” और “आठ दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएँगे और शब्दों “आठवें दिन” के स्थान पर, शब्द “चौथे दिन” आ जाएँगे।

LIX. विनियम 228 में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों “निर्गमकर्ता आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव” से पहले दिए हुए चिह्न तथा अंक “(1)” हट जाएँगे।

(ख) खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएँगे।

LX. विनियम 230 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“(3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा जुटाई जाने वाली रकम में से:

(i) साधारण कारपोरेट प्रयोजनों के लिए, और

(ii) ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिनके तहत में निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने अर्जन (एक्ज़िज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो],

पैंतीस प्रतिशत से अधिक रकम नहीं रखी जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे उद्देश्यों के लिए जुटाई गई रकम, जिनके तहत निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी ने अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित न किया हो [जैसा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लेख किया गया हो], निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जाने वाली रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसी सीमाएँ तब लागू नहीं होंगी, जब प्रस्तावित अर्जन (एक्विज़ीशन) या निवेश का नीतिगत (स्ट्रेटेजिक) उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया हो और ऐसे अर्जनों या निवेश के बारे में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर), प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय कर दिए जाएँ।”

LXI. विनियम 237 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में,

(क) परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों “यदि संप्रवर्तक और आनुकल्पिक निवेश निधियाँ,” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “यदि संप्रवर्तक और आनुकल्पिक निवेश निधियाँ या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ,” आ जाएँगे।

(ख) परंतुक में, खंड (ii) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत या” हट जाएँगे।

LXII. विनियम 244 में, उप-विनियम (5) में, परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक “या कंपनी अधिनियम, 1956 (जहाँ तक लागू हो)” हट जाएँगे।

LXIII. विनियम 246 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-  
“(5) प्रस्ताव दस्तावेज बोर्ड के पास सॉफ्ट कॉपी में भी प्रस्तुत किया जाएगा।”

LXIV. विनियम 255 में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-VIII के भाग-ड” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-VI के भाग-ड” आ जाएँगे।

LXV. विनियम 260 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के अनुसार हामीदारों (अंडरराइटर्स) की नियुक्ति कर सकेगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “हामीदारों के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंकरों (बैंककारों) या स्टॉक दलालों को नियुक्त करेगा” आ जाएँगे।

LXVI. विनियम 262 में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्द तथा चिह्न “लोक वित्तीय संस्था द्वारा या निर्गमकर्ता के बैंककारों के रूप में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) आ जाएँगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों “कम से कम पचानवे प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “सौ प्रतिशत” आ जाएँगे और चिह्न तथा शब्द “[उस पैसे (प्रोसीड्स) को छोड़कर जो साधारण कारपोरेट प्रयोजनों हेतु जुटाया गया हो]” हट जाएँगे।

LXVII. विनियम 272 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “सात दिनों” और “आठ दिनों” के स्थान पर, शब्द “चार दिनों” आ जाएँगे और शब्दों “आठवें दिन” के स्थान पर, शब्द “चौथे दिन” आ जाएँगे।

LXVIII. विनियम 290क हट जाएगा।

LXIX. विनियम 292 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ड) में, शब्दों तथा चिह्नों “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएँगे।

LXX. अनुसूची-II में, खंड (1) में, उप-खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनीज़ एक्ट, 1956) और / या” हट जाएँगे।

LXXI. अनुसूची-VI में, भाग-क में,



- (क) शीर्षक "लागू होना" के अंतर्गत, परंतु (क) में, शब्दों तथा चिह्नों "तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "तीव्र-पथीय सार्वजनिक निर्गम (फास्ट ट्रेक पब्लिक इश्यू)" आ जाएंगे और शब्दों तथा चिह्न "भाग-ख" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "भाग-घ" आ जाएंगे।
- (ख) मद (1) [जिसका शीर्षक है - "मुख पृष्ठ (कवर पेज)"] में, पैरा (क) में, क्रम सं. (1) के स्थान पर, निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-  
 "(1) अगले बाहरी मुख पृष्ठ (फ्रंट आउटसाइड कवर पेज) में निर्गम (इश्यू) और निर्गमकर्ता (इश्युअर) के ब्यौरे दिए जाएंगे, बेचने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे सारणीबद्ध रूप में दिए जाएंगे और साथ ही अर्जित किए जाने की औसत लागत भी बताई जाएगी और 'विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) के ब्यौरे दिए जाएंगे, तथा ऐसे अन्य ब्यौरे भी दिए जाएंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"
- (ग) मद (1) [जिसका शीर्षक है - "मुख पृष्ठ (कवर पेज)"] में, पैरा (क) में, क्रम सं. (2) में, शब्दों तथा चिह्नों "अगला बाहरी मुख पृष्ठ (फ्रंट आउटसाइड कवर पेज)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "अगला अंदरूनी मुख पृष्ठ (फ्रंट इनसाइड कवर पेज)" आ जाएंगे।
- (घ) मद (4) [जिसका शीर्षक है - "प्रस्ताव दस्तावेज का सारांश"] में, पैरा (थ) के बाद, निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -  
 "(द) यदि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा कोई छूट दी गई हो, तो उसकी जानकारी दी जाएगी।"
- (ङ) मद (5) [जिसका शीर्षक है - "जोखिम कारकः"] में, पैरा (छ) में, खंड 31 के बाद, निम्नलिखित खंड 32 जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -  
 "32. उस मामले में जहाँ पीयर रिव्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंट [जो कंपनी का कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) न हो] द्वारा प्रोफार्मा वित्तीय विवरण / रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण प्रदान किए गए हों, वहाँ निर्गमकर्ता कंपनी इसे अपने प्रस्ताव दस्तावेज (डीआरएचपी/आरएचपी/प्रॉस्पेक्टस) में शीर्ष 10 जोखिम कारकों में दर्शाएगी"
- (च) मद (8) [जिसका शीर्षक है - "पूँजी संरचनाः"] में, पैरा (ख) में, खंड (च) में, शब्द तथा अंक "विनियम 33" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "विनियम 31" आ जाएंगे।
- (छ) मद (9) [जिसका शीर्षक है - "निर्गम संबंधी विवरणः"] में, पैरा (क) में, खंड (8) में, उप-खंड (ङ) में, शब्दों तथा चिह्नों "उप-खंड (क) लागू है" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "उप-खंड (क) से (घ) लागू है" आ जाएंगे।
- (ज) मद (10) [जिसका शीर्षक है - "निर्गमकर्ता के बारे मेंः"] है में,  
 i. पैरा (ङ) में, खंड (ङ) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "मद (17) की उप-मद (1) के अधीन" के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक "मद (18) की उप-मद (1) के तहत" आ जाएंगे।  
 ii. पैरा (च) में, खंड (ख) में, उप-खंड (iii) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "मद (17) की उप-मद (1) के अधीन" के स्थान पर, शब्द और "चिह्न मद (18) की उप-मद (1) के तहत" आ जाएंगे।  
 iii. पैरा (छ) में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "संपूर्ण प्रोफाइल" के बाद, शब्द "दिया जाएगा" जोड़े जाएंगे और चिह्नों तथा शब्दों " , स्थायी खाता संख्या, आधार कार्ड संख्या, वाहन चालन लाइसेंस संख्या प्रकट की जायेगी" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "और स्थायी खाता संख्या (पैन) शामिल है" आ जाएंगे।  
 iv. पैरा (छ) में, खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों "उन स्टॉक एक्सचेंजों के पास उनके पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज या प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दाखिल करते समय दाखिल की गयी हैं, जिनमें विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं" के स्थान पर, शब्द "आधार कार्ड संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस संख्या उन स्टॉक

एक्सचेंजों के यहाँ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय उन्हें बताई गई हैं, जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की जानी हैं" आ जाएंगे।

- v. पैरा (छ) में, खंड (घ) में, शब्द, चिह्न तथा अंक "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 या" हट जाएंगे।

(झ) मद (11) [जिसका शीर्षक है - "वित्तीय विवरण"] में,

- i. क्रम सं. (I) में, पैरा (क) में, खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्नों "लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और उसे किसी ऐसे सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके पास भारतीय चार्टर्ड" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "की किसी ऐसे कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जानी चाहिए और उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड" आ जाएंगे।
- ii. क्रम सं. (I) में, पैरा (क) में, खंड (i) में, उप-खंड (घ) में, शब्द "लेखापरीक्षक" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "लेखापरीक्षक (ऑडिटर) या चार्टर्ड अकाउंटेंट" और शब्दों तथा चिह्न "जाँच-पड़ताल रिपोर्ट जारी करेगा" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "जाँच रिपोर्ट जारी करेगा (करेंगे)" आ जाएंगे।
- iii. क्रम (I) में, पैरा (ख) में, खंड (iii) में, शब्दों "महत्वपूर्ण कारोबार का" के बाद दिए हुए शब्दों "कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो]"।
- iv. क्रम सं. (I) में, पैरा (ख) में, खंड (iii) में, शब्दों "निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक या निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी मान्य प्रमाणपत्र हो]" आ जाएंगे।
- v. क्रम सं. (II) में, पैरा (क) में, खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्नों "सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके पास भारतीय चार्टर्ड" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिनके पास भारतीय चार्टर्ड" आ जाएंगे।
- vi. क्रम सं. (II) में, पैरा (क) में, खंड (i) में, उप-खंड (घ) में, शब्द "लेखापरीक्षक" के स्थान पर शब्द "लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंट" आ जाएंगे और शब्दों तथा चिह्नों "जाँच-पड़ताल रिपोर्ट जारी करेगा" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "जाँच रिपोर्ट जारी करेगा (करेंगे)" आ जाएंगे।
- vii. क्रम सं. (II) में, पैरा (ख) में, खंड (iii) में, शब्दों "महत्वपूर्ण कारोबार का" के बाद दिए हुए शब्दों "कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "कानूनी लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के समकक्ष समीक्षा बोर्ड (पीयर रिव्यू बोर्ड) द्वारा जारी मान्य प्रमाणपत्र हो]" आ जाएंगे।
- viii. क्रम सं. (II) में, पैरा (ख) में, खंड (iii) में, शब्दों "निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर, शब्दों तथा चिह्न "निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक या निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के समकक्ष समीक्षा बोर्ड (पीयर रिव्यू बोर्ड) द्वारा जारी मान्य प्रमाणपत्र हो]" आ जाएंगे।

(ञ) क्रम सं. (14) [जिसका शीर्षक है - "अन्य विनियामक और कानूनी प्रकटीकरण:"] में,

- i. पैरा (द) में, सारणी के बाद, "टिप्पण" में, क्रम सं. 5 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“6. कीमत संबंधी जानकारी प्रकट करने के संबंध में उसी स्टॉक एक्सचेंज पर विचार किया जाएगा जिसे निर्गम के समय संबंधित निर्गमकर्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज बताया गया हो।”

ii. पैरा (ध) में, खंड (3) में, शब्दों “इक्विटी शेयर सक्रिय रूप से व्यापारित नहीं थे” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इक्विटी शेयरों में बार-बार सौदेबाजी न हुई हो (व्यापार न हुआ हो)” आ जाएंगे।

iii. पैरा (न) के बाद, निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(प) यदि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा कोई छूट दी गई हो, तो उसकी जानकारी दी जाएगी।”

(ट) क्रम सं. (15) [जिसका शीर्षक है - “प्रस्ताव संबंधी जानकारी:”] में,

i. पैरा (क) में, खंड (ड) में, चिह्न तथा शब्द “, बशर्ते कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के लिए साधिकार निर्गम में निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र कागजी रूप में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध हो” हट जाएंगे।

ii. पैरा (ख) में, खंड (21) में, शब्द तथा चिह्न “प्रमाणपत्रों (साधिकार निर्गमों के लिए) को जारी करने /” हट जाएंगे।

iii. पैरा (ख) में, खंड (26) में, उप-खंड (क) में, क्रम सं. (vii) में, शब्द तथा अंक “विनियम 19” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “विनियम 56” आ जाएंगे।

(ठ) क्रम सं. (17) में, शब्दों तथा चिह्नों “तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेड इश्यू)” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “तीव्र-पथीय सार्वजनिक निर्गम (फास्ट ट्रेड पब्लिक इश्यू)” आ जाएंगे और शब्दों तथा चिह्न “भाग-ख” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “भाग-घ” आ जाएंगे।

LXXII. अनुसूची-VI में, शब्द “इरादतन चूककर्ता” और शब्द और चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” जहाँ कहीं भी दिए हुए हैं, वहाँ उनके स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएंगे।

LXXIII. अनुसूची-VI में, भाग-ख में,

(क).मद (4) में, पैरा (XI) [जिसका शीर्षक है - “निर्गमकर्ता की वित्तीय जानकारी”] में,

i. खंड (ख) में, चिह्नों तथा शब्दों “(जिन्हें कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो)” के स्थान पर, चिह्न तथा शब्द “[जिन्हें ऐसे कानूनी लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के समकक्ष समीक्षा (पीयर रिव्यू) बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो]” आ जाएंगे।

ii. खंड (ख) में, चिह्नों तथा शब्दों “(यह जानकारी निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए)” के स्थान पर, चिह्न तथा शब्द “[यह जानकारी निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के ऐसे कानूनी लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए, जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के समकक्ष समीक्षा (पीयर रिव्यू) बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो]” आ जाएंगे।

LXXIV. अनुसूची-VI में, भाग-ख-1 में, मद (14) में, पैरा (ख) [जिसका शीर्षक है - “अन्य वित्तीय जानकारी”] में,

i. खंड (iii) [जिसका शीर्षक है - प्रोफार्मा वित्तीय विवरण] में, चिह्नों तथा शब्दों “(जिन्हें कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो)” के स्थान पर, चिह्न तथा शब्द “[जिन्हें ऐसे कानूनी लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के समकक्ष समीक्षा (पीयर रिव्यू) बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो]” आ जाएंगे।

- ii. खंड (iii) में, चिहनों तथा शब्दों “(यह जानकारी निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए)” के स्थान पर, चिह्न तथा शब्द “[यह जानकारी निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए, जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के समकक्ष समीक्षा (पीयर रिव्यू) बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो]” आ जाएंगे।
- LXXV. अनुसूची-VI में, भाग-ड में, संलग्नक-1 में, शीर्षक “पुनर्कथित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण” के बाद दी हुई एकल और समेकित शीर्षक वाली सारणी में, “वित्तीय वर्ष 4” और “वित्तीय वर्ष 5 (निर्गम खुलने से पहले अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष)” वाले कॉलम हट जाएंगे और “वित्तीय वर्ष 3” वाले कॉलम के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष 3 [निर्गम (इश्यू) खुलने से पहले अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष)” वाला कॉलम आ जाएगा।
- LXXVI. अनुसूची-VII में, खंड (23) में,
- (क) शब्द “पिछले दस वर्षों में” हट जाएंगे।
- (ख) शब्द “इरादतन चूककर्ताओं” और शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, वहाँ उनके स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करनेवाला)” या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएंगे।
- LXXVII. अनुसूची-VI एवं अनुसूची-VII में, शब्द “इरादतन चूककर्ताओं” जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, वहाँ उनके स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करनेवालों) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)” आ जाएंगे।
- LXXVIII. अनुसूची-IX में, खंड (11) में, शब्दों “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज” के बाद और शब्दों “दाखिल करने की तारीख” से पहले, चिह्न तथा शब्द “(ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) / प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर)” जोड़े दिए जाएंगे।
- LXXIX. अनुसूची-XI में,
- (क) क्रम सं. 3 एवं क्रम सं. 4 में, चिह्न और शब्द “[प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित सभी उद्देश्यों के अलग-अलग विवरण निम्नलिखित फॉर्मेट में दें]” जहाँ कहीं भी दिए हों, वहाँ उनके स्थान पर, चिह्न तथा शब्द “[प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में जितने उद्देश्य बताए गए हों, उन सभी उद्देश्यों के अलग-अलग ब्यौरे दें और साथ ही यदि किसी उद्देश्य को अलग-अलग मदों के तहत पूरा किया जाना हो तो उन मदों के अनुसार भी ब्यौरे दें।]” आ जाएंगे।
- (ख) क्रम सं. 3 में, सारणी में, शीर्षक “उत्तर” वाले कॉलम के बाद और शीर्षक “निगरानी करनेवाली (मॉनीटरिंग) एजेंसी की टिप्पणियाँ” वाले कॉलम से पहले, शीर्षक “निगरानी करने वाली (मानीटरिंग) एजेंसी द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय जानकारी कहाँ-कहाँ से ली गई / किन-किन प्रमाणपत्रों पर गौर किया गया” वाला एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा।
- (ग) क्रम सं. 4 में, सारणी (i) में, शीर्षक “मद” वाले कॉलम के बाद और शीर्षक “मूल लागत [प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के अनुसार]” वाले कॉलम से पहले, शीर्षक “निगरानी करने वाली (मानीटरिंग) एजेंसी द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय जानकारी कहाँ-कहाँ से ली गई / किन-किन प्रमाणपत्रों पर गौर किया गया” वाला एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा।
- (घ) क्रम सं. 4 में, सारणी (ii) में, शीर्षक “मद” वाले कॉलम के बाद और शीर्षक “प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रस्तावित रकम]” वाले कॉलम से पहले, शीर्षक “निगरानी करने वाली (मानीटरिंग) एजेंसी द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय जानकारी कहाँ-कहाँ से ली गई / किन-किन प्रमाणपत्रों पर गौर किया गया” वाला एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा।
- (ङ) क्रम सं. 4 के बाद, एक नया क्रम सं. 5 जोड़ा जाएगा, जिसका शीर्षक “उन पैसों (प्रोसीड्स) के इस्तेमाल के ब्यौरे, जिनके बारे में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में यह ज़िक्र किया गया है कि वे साधारण कारपोरेट प्रयोजनों के लिए हैं” होगा।

LXXX. अनुसूची-XIII में,

(क) भाग-क में,

(i) खंड (7) में, उप-खंड (ख) में, क्रम सं. (i) के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“परंतु यह कि मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) की उच्चतम सीमा निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) की कम से कम एक सौ पाँच प्रतिशत होगी।”

(ii) खंड (10) में, उप-खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

“ज) एंकर निवेशकों को आबंटित किए गए शेयरों में से 50 प्रतिशत शेयरों पर उनके आबंटन की तारीख से 90 दिनों तक अवरुद्धता (लॉक-इन) रहेगी, और एंकर निवेशकों को आबंटित किए गए बाकी के 50 प्रतिशत शेयरों पर आबंटन की तारीख से 30 दिनों तक अवरुद्धता (लॉक-इन) रहेगी।”

(iii) खंड (15) में, उप-खंड (ख) में,

क) शब्दों “अर्हित संस्थागत क्रेताओं” के बाद और शब्दों तथा चिह्न “को आबंटन / विनियोजन,” से पहले दिए हुए शब्द “और गैर-संस्थागत निवेशकों” हट जाएंगे:

ख) शब्दों “छोट व्यक्तिगत निवेशकों” के बाद और शब्द “को आबंटन” से पहले चिह्न और शब्द “, गैर-संस्थागत निवेशक” जोड़े जाएंगे।

(ख) भाग घ में, खंड (क) में, शब्द, अंक और चिह्न “खंड (15)(ग)” के स्थान पर शब्द, अंक और चिह्न “खंड (15)(ख)” आ जाएंगे।

LXXXI. अनुसूची-XIV में,

(क) भाग-क के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक आ जाएगा, अर्थात्,-

“छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को आबंटन कैसे किया जाएगा उसका उदाहरण”

(ख) भाग-क के बाद, निम्नलिखित भाग-क1 जोड़ा जाएगा, अर्थात्, —

“भाग-क-1 – संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों) को आबंटन कैसे किया जाएगा उसका उदाहरण”

**उदाहरण क.**

- (1) ₹600 प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या: 1 करोड़ निर्धारित प्रतिभूतियाँ।
- (2) गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के लिए प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियाँ : 15 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ।
- (3) कुल गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में से,
  - (क) दो लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक की रकम के आवेदनों के लिए आरक्षित - अर्थात् 5 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ
  - (ख) शेष दस लाख रुपये से अधिक की रकम के आवेदनों के लिए – दस लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ
- (4) निर्गम में कुल 2.5 गुना पैसा लगाया गया है, जबकि ऊपर 3(क) में उल्लिखित गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 4 गुना अतिरिक्त पैसा लगाया गया है और 3(ख) में उल्लिखित गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 50 गुना अतिरिक्त पैसा लगाया गया है।
- (5) निर्गमकर्ता ने लॉट का न्यूनतम आकार 20 निर्धारित प्रतिभूतियाँ तय की हैं (जो दस हजार रुपये से पंद्रह हजार रुपये के बीच आता है) और उनके गुणकों में तय की हैं।
- (6) इसीलिए, गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आवेदन का न्यूनतम आकार उनमें से 340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ [अर्थात् आवेदन दो लाख रुपये से अधिक का होना चाहिए और उनके एक लॉट (अर्थात् 20 निर्धारित प्रतिभूतियाँ) के गुने में होना चाहिए] हैं।

(7) आवेदन के अधिकतम दस लाख रुपये तक के आकार के आधार पर, निर्गम में 3(क) की श्रेणी में कुल पाँच सौ निवेशकों ने, आवेदन के आकार की भिन्न-भिन्न संख्या में अर्थात् 17 से 83 के लॉट (340 से 1660 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए) में आवेदन किया है।

(8) पाँच सौ निवेशकों में से, क, ख, ग, घ और ङ पाँच गैर-संस्थागत निवेशक हैं, जिन्होंने निम्नानुसार आवेदन किया है: क ने 340 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। ख ने 500 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। ग ने 1,000 प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। घ ने 1,400 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है और ङ ने 1,600 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है।

(9) चूँकि गैर-संस्थागत निवेशकों को आबंटन आवेदन के न्यूनतम आकार से कम नहीं हो सकता, इसलिए, शेयरों की उपलब्धता को देखते हुए, शेष उपलब्ध शेयर, यदि कोई हों, अनुपातिक आधार पर आबंटित किए जाएंगे।

वास्तविक हकदारी निम्नानुसार होगी:

क्र.सं	निवेशक का नाम	निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या – जिनके लिए आवेदन किया गया	आबंटित किए जाने के लिए पात्र निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या
1	क	340	340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (अर्थात् आवेदन का न्यूनतम आकार)
2	ख	500	340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (अर्थात् आवेदन का न्यूनतम आकार) + 29 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $[\{5,00,000 - (500*340)\} / \{20,00,000-(500*340)\}] * 160$ (अर्थात् 500-340)
3	ग	1,000	340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (अर्थात् 2 लाख रुपये का न्यूनतम लॉट) + 119 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $[\{5,00,000 - (500*340)\} / \{20,00,000-(500*340)\}] * 660$ (अर्थात् 1,000-340)
4	घ	1,400	340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (अर्थात् 2 लाख रुपये का न्यूनतम लॉट) + 191 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $[\{5,00,000 - (500*340)\} / \{20,00,000-(500*340)\}] * 1,060$ (अर्थात् 1,400-340)
5	ङ	1,660	340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (अर्थात् 2 लाख रुपये का न्यूनतम लॉट) + 238 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $[\{5,00,000 - (500*340)\} / \{20,00,000-(500*340)\}] * 1,320$ (अर्थात् 1,660-340)

नोट: श्रेणी 3(ख) के लिए, उपरोक्तानुसार ही गणना की जाएगी।

**उदाहरण ख.**

(1) ₹600 प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या: 1 करोड़ निर्धारित प्रतिभूतियाँ।

(2) गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के लिए प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियाँ : 15 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ।

(3) कुल गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में से,

(क) दो लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक की रकम के आवेदनों के लिए आरक्षित - अर्थात् 5 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ

(ख) शेष दस लाख रुपये से अधिक की रकम के आवेदनों के लिए – दस लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ

(4) निर्गम में कुल 7 गुना पैसा लगाया गया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी, [दो लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक की रकम के आवेदनों के लिए आरक्षित अर्थात् पाँच लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ, में 89.17 गुना अतिरिक्त पैसा लगाया गया है।

(5) निर्गमकर्ता ने लॉट का न्यूनतम आकार 20 निर्धारित प्रतिभूतियाँ तय की हैं (जो दस हजार रुपये से पंद्रह हजार रुपये के बीच आता है) और उनके गुणकों में तय की हैं।

(6) इसीलिए, गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आवेदन का न्यूनतम आकार उनमें से 340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ [अर्थात् आवेदन दो लाख रुपये से अधिक का होना चाहिए और उनके एक लॉट (अर्थात् 20 निर्धारित प्रतिभूतियाँ) के गुने में होना चाहिए] है।

(7) आवेदन के अधिकतम दस लाख रुपये तक के आकार के आधार पर, निर्गम में 3(क) की श्रेणी में कुल पचास हजार निवेशकों ने, आवेदन के आकार की भिन्न-भिन्न संख्या में अर्थात् 17 से 83 के लॉट (340 से 1660 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए) में आवेदन किया है।

(8) आबंटन की प्रक्रिया के अनुसार, गैर-संस्थागत निवेशकों को आबंटन आवेदन के न्यूनतम आकार से कम नहीं हो सकता, बशर्ते की शेर्य हों।

(9) चूँकि 3(क) के तहत गैर-संस्थागत निवेशकों से प्राप्त आवेदनों के लिए कुल प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियों 5,00,000 ही हैं और आवेदन का न्यूनतम आकार 340 निर्धारित प्रतिभूतियाँ है, इसीलिए उन गैर-संस्थागत निवेशकों की अधिकतम संख्या 1,471 होगी जिन्हें आवेदन के न्यूनतम आकार के तहत आबंटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 1471 आवेदकों को ही आवेदन के न्यूनतम आकार के तहत आबंटन किया जाएगा और बाकी के 48,529 आवेदकों को कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

लॉट की सं.	प्रत्येक लॉट में शेर्यों की सं.	प्रत्येक लॉट में आवेदन करने वाले निवेशकों की सं.	शेर्यों की कुल सं. - जिनके लिए प्रत्येक लॉट में आवेदन किया गया	उन निवेशकों की सं. जिन्हें आवेदन के न्यूनतम आकार के अनुसार लॉट मिलेंगे (जो लॉटरी से तय होगा)
क	ख	ग	घ= (ख*ग)	ङ
17	340	2,500	8,50,000	74= (1,471/50,000) *2,500
18	360	1,000	3,60,000	29
19	380	1,000	3,80,000	29
20	400	1,000	4,00,000	29
21	420	1,000	4,20,000	29
22	440	1,000	4,40,000	29
23	460	1,000	4,60,000	29
24	480	500	2,40,000	15
25	500	500	2,50,000	15
26	520	500	2,60,000	15
27	540	500	2,70,000	15
28	560	1,000	5,60,000	29
29	580	1,000	5,80,000	29
30	600	500	3,00,000	15
31	620	1,000	6,20,000	29
32	640	1,000	6,40,000	29
33	660	1,000	6,60,000	29
34	680	1,000	6,80,000	29

35	700	1,000	7,00,000	29
36	720	500	3,60,000	15
37	740	1,000	7,40,000	29
38	760	1,000	7,60,000	29
39	780	1,000	7,80,000	29
40	800	1,000	8,00,000	29
41	820	1,000	8,20,000	29
42	840	1,000	8,40,000	29
43	860	500	4,30,000	15
44	880	1,000	8,80,000	29
45	900	1,000	9,00,000	29
46	920	1,000	9,20,000	29
47	940	1,000	9,40,000	29
48	960	1,000	9,60,000	29
49	980	1,000	9,80,000	29
50	1000	1,000	10,00,000	29
51	1020	1,000	10,20,000	29
52	1040	1,000	10,40,000	29
53	1060	1,000	10,60,000	29
54	1080	500	5,40,000	15
55	1100	500	5,50,000	15
56	1120	500	5,60,000	15
57	1140	500	5,70,000	15
58	1160	500	5,80,000	15
59	1180	500	5,90,000	15
60	1200	500	6,00,000	15
61	1220	500	6,10,000	15
62	1240	500	6,20,000	15
63	1260	500	6,30,000	15
64	1280	500	6,40,000	15
65	1300	500	6,50,000	15
66	1320	500	6,60,000	15
67	1340	500	6,70,000	15
68	1360	500	6,80,000	15



69	1380	500	6,90,000	15
70	1400	500	7,00,000	15
71	1420	500	7,10,000	15
72	1440	500	7,20,000	15
73	1460	500	7,30,000	15
74	1480	500	7,40,000	15
75	1500	500	7,50,000	15
76	1520	500	7,60,000	15
77	1540	500	7,70,000	15
78	1560	500	7,80,000	15
79	1580	500	7,90,000	15
80	1600	500	8,00,000	15
81	1620	500	8,10,000	15
82	1640	500	8,20,000	15
83	1660	500	8,30,000	15
कुल		<b>50,000</b>	<b>4,48,50,000</b>	<b>1,471</b>

टिप्पणी: श्रेणी 3(ख) के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों के मामले में, गणना वैसे ही की जाएगी जैसा ऊपर जिक्र किया गया है।”

LXXXII. अनुसूची-XVI में,

- (क) खंड (1) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-IV” के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-III” आ जाएंगे।
- (ख) खंड (2) में, उप-खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-IV” के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-III” आ जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./579/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
  - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
  - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा



(ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2022

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/63.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the amendments to sub-regulation (3A) of regulation 32, regulation 49, regulation 129, regulation 145, clause (10) and clause (15) of Part A of Schedule XIII and Schedule XIV shall come into force from April 1, 2022, for issues opening on or after April 1, 2022.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. In regulation 2, in sub-regulation (1),

(a) in clause (r),

i. the words and symbol “or the offer document:” shall be substituted with the words and symbols “the offer document, or the letter of offer:”.

ii. in the proviso, the words and symbol “or the offer document;” shall be substituted with the words and symbols “the offer document, or the letter of offer;”.

(b) in clause (mm), the words and symbols “regulation 2(1)(q) of” shall be omitted.

(c) in clause (lll), the words “wilful defaulter” wherever it appears, shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower” and the words “wilful defaulters” shall be substituted with the words “wilful defaulters or fraudulent borrowers”.

II. In regulation 5, in sub-regulation (1), in clause (c), the words and symbol “wilful defaulter.” shall be substituted with the words and symbol “wilful defaulter or a fraudulent borrower.”.

III. In regulation 7, after sub-regulation (2),

(a) in the explanation, the words “For the purposes of this regulation” shall be substituted with the words and numbers “For the purposes of regulation 6 and regulation 7”.

(b) the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely, -

“(3) The amount for:

(i) general corporate purposes, and

(ii) such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document,

shall not exceed thirty five per cent. of the amount being raised by the issuer:

Provided that the amount raised for such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the

draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty five per cent. of the amount being raised by the issuer:

Provided further that such limits shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object has been identified and suitable specific disclosures about such acquisitions or investments are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of offer documents.”

IV. In regulation 8, in the proviso after the Explanation, the words, symbol and numbers “under the sections 391 to 394 of Companies Act, 1956,” shall be omitted.

V. After regulation 8 and before regulation 9, the following regulation (8A) shall be inserted, namely, -

**“Additional conditions for an offer for sale for issues under sub-regulation (2) of regulation 6**

**8A.** For issues where draft offer document is filed under sub-regulation (2) of regulation 6 of these regulations:

- a. shares offered for sale to the public by shareholder(s) holding, individually or with persons acting in concert, more than twenty per cent of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, shall not exceed more than fifty per cent of their pre-issue shareholding on fully diluted basis;
- b. shares offered for sale to the public by shareholder(s) holding, individually or with persons acting in concert, less than twenty per cent of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, shall not exceed more than ten per cent of pre-issue shareholding of the issuer on fully diluted basis;
- c. for shareholder(s) holding, individually or with persons acting in concert, more than twenty per cent of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, provisions of lock-in as specified under regulation 17 of these regulations shall be applicable, and relaxation from lock-in as provided under clause (c) of regulation 17 of these regulations shall not be applicable.”

VI. In regulation 15,

- (a) in sub-regulation (1), in clause (b), in point (i) of the proviso, the words “if the promoters and alternative investment funds”, shall be substituted with the words “if the promoters and alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India”.
- (b) in sub-regulation (1), in clause (b), in point (ii) of the proviso, the words, numbers and symbol “sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 or” shall be omitted.
- (c) in sub-regulation (1), in clause (c), the words “the promoters and alternative investment funds”, shall be substituted with the words “the promoters and alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India”.
- (d) in sub-regulation (2), the words, symbol and numbers “under the sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956” shall be omitted.

VII. In regulation 17,

- (a) in clause (c), in the proviso, after the words “alternative investment fund” the words “of Category I or Category II” shall be inserted.
- (b) after clause (c), the existing Explanation shall be numbered as (i) and the words “one year period” in the Explanation shall be substituted with the words “six months period”.
- (c) after the newly numbered Explanation (i), the following shall be inserted, namely, -  
“(ii) For the purpose of clause (c), in case such equity shares have resulted pursuant to a bonus issue, then the holding period of such equity shares against which the bonus issue is

made as well as holding period of resultant bonus equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of six months period, subject to the following:

- (a) that the bonus shares being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with the Board; and
- (b) that the bonus shares not being issued by utilisation of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer."

- VIII. In regulation 23, in sub-regulation (5), in the proviso, the words, numbers and symbols "or the Companies Act, 1956 (to the extent applicable)" shall be omitted.
- IX. In regulation 29, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted namely, —  
"Provided that the cap of the price band shall be at least one hundred and five percent of the floor price."
- X. In regulation 32,
  - (a) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely, —  
"(3A) In an issue made through book building process, the allocation in the non-institutional investors' category shall be as follows:
    - (a) one third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than two lakh rupees and up to ten lakh rupees;
    - (b) two third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than ten lakh rupees:
 Provided that the unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to applicants in the other sub-category of non-institutional investors."
  - (b) in sub-regulation (4), in clause (ii), the sub-clause (i) and (ii) shall be re-numbered as sub-clause (a) and (b).
- XI. In regulation 40, in sub-regulation (1), the words, numbers and symbols "it shall appoint underwriters in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993" shall be substituted with the words and symbols "it shall appoint merchant bankers or stock brokers, registered with the Board, to act as underwriters."
- XII. In regulation 41,
  - (a) in sub-regulation (1), the words and symbol "public financial institution or by a scheduled commercial bank named in the offer document as bankers of the issuer:" shall be substituted with the words and symbol "credit rating agency registered with the Board:".
  - (b) in sub-regulation (2), the words "at least ninety five per cent" shall be substituted with the words "hundred per cent", and the words and symbols ", excluding the proceeds raised for general corporate purposes," shall be omitted.
- XIII. In regulation 45, in sub-regulation (2), the words "fifteen days" shall be substituted with the words "four days".
- XIV. In regulation 49,
  - (a) in sub-regulation (3), after the words "retail individual investors" and before the words "and anchor", the symbols and words ", non-institutional investors" shall be inserted;
  - (b) after sub-regulation (4), the following sub-regulation (4A) shall be inserted namely, —  
"(4A) The allotment of specified securities to each non-institutional investor shall not be less than the minimum application size, subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, and the

remaining shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of these regulations.”

- XV. In regulation 53, in sub-regulation (2), the words “seven days” and “eight days” shall be substituted with the words “four days” and the words “eighth day” shall be substituted with the words “fourth day”.
- XVI. In regulation 57, in sub-regulation (7), the word and symbol “Chapter VII” shall be substituted with the word and symbol “Chapter V of these regulations”.
- XVII. In regulation 62,  
(a) after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -  
“(2A) The amount for:  
(i) general corporate purposes, and  
(ii) such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document,  
shall not exceed thirty five per cent. of the amount being raised by the issuer:  
Provided that the amount raised for such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty five per cent. of the amount being raised by the issuer:  
Provided further that such limits shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object has been identified and suitable specific disclosures about such acquisitions / investments are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of offer documents.”  
(b) in sub-regulation (3), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- XVIII. In regulation 69, sub-regulation (5), in the proviso, the words, numbers and symbols “or the Companies Act, 1956 (to the extent applicable)” shall be omitted.
- XIX. In regulation 70, in sub-regulation (6), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- XX. In regulation 74, in sub-regulation (2), the words “or warrants” shall be omitted.
- XXI. In regulation 81, in sub-regulation (1), the words, numbers and symbols “it shall appoint underwriters in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993.” shall be substituted with the words and symbols “it shall appoint merchant bankers or stock brokers, registered with the Board, to act as underwriters:”.
- XXII. In regulation 82,  
(a) in sub-regulation )1(, the words and symbol “public financial institution or by a scheduled commercial bank named in the letter of offer as a banker of the issuer:” shall be substituted with the words and symbol “credit rating agency registered with the Board:”.  
(b) in sub-regulation (2), the words “at least ninety five per cent” shall be substituted with the words “hundred per cent”, and the words and symbols “,excluding the proceeds raised for general corporate purposes,” shall be omitted.
- XXIII. In regulation 86, in sub-regulation (2), the words “fifteen days” shall be substituted with the words “four days”.
- XXIV. In regulation 87, the words “fifteen days” shall be substituted with the words “seven days”.

- XXV. In regulation 93, in sub-regulation (3), the words and symbol “the securities certificates,” and the words “the listing agreement is entered into by the issuer with the stock exchange and” shall be omitted.
- XXVI. In regulation 94, in sub-regulation (2), the words “seven days” and “eight days” shall be substituted with the words “four days” and the words “eighth day” shall be substituted with the words “fourth day”.
- XXVII. In regulation 99,
- (a) in clause (c), after the words and symbol “fifty crore rupees;”, the words and symbols “in at least one of the recognized stock exchanges with nationwide trading terminal, where its securities are listed;” shall be inserted.
- (b) in clause (h), in sub-clause (i), after the words “issued by the Board” the words and symbol “or the Adjudicating Officer,” shall be inserted.
- (c) clause (i) shall be substituted with the following, namely, -
- “(i) if the issuer or the promoter or the promoter group or the director of the issuer has settled any alleged violations of securities laws through the settlement mechanism of the Board in the past three years immediately preceding the reference date, then the disclosure of such compliance of the settlement order, shall be made in the letter of offer;”
- (d) in clause (m), after the word “Further” the word “that” shall be omitted.
- XXVIII. In regulation 102, in clause (c), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- XXIX. In regulation 103, sub-regulations (1) and (2), shall be substituted with the following, namely,-
- “(1) An issuer shall be eligible to make a further public offer, if it has not changed its name in the last one year period immediately preceding the date of filing the relevant offer document:
- Provided that if an issuer has changed its name in the last one year period immediately preceding the date of filing the relevant offer document, such an issuer shall make further public offer if at least fifty per cent. of the revenue for the preceding one full year has been earned by it from the activity indicated by its new name.
- (2) An issuer not satisfying the condition stipulated in the proviso to sub-regulation (1), shall make a further public offer only if the issue is made through the book building process and the issuer undertakes to allot at least seventy five per cent. of the net offer, to qualified institutional buyers and to refund full subscription money if it fails to make the said minimum allotment to qualified institutional buyers.”.
- XXX. In regulation 104,
- (a) in sub-regulation (1), after clause (d), the following explanation shall be inserted, namely,
- “Explanation. - For the purposes of this regulation “finance for the specific project” shall mean finance for capital expenditures only.”
- (b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely, -
- “(3) The amount for:
- (i) general corporate purposes, and
- (ii) such objects where the issuer company has not identified acquisition / investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document,
- shall not exceed thirty five per cent. of the amount being raised by the issuer:
- Provided that the amount raised for such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the

draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty five per cent. of the amount being raised by the issuer:

Provided further that such limits shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object has been identified and suitable specific disclosures about such acquisitions or investments are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of offer documents.”

XXXI. In regulation 105,

- (a) the first proviso, shall be placed after the existing second proviso and before the Explanation.
- (b) the words, numbers and symbols “under the sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956,” shall be omitted.
- (c) in the proviso after the Explanation, in clause (c) of the proviso, the word “shared” shall be substituted with the word “shares”.

XXXII. In regulation 114, in sub-regulation (2), the words, numbers and symbol “under section 391 to 394 of the Companies Act, 1956” shall be omitted.

XXXIII. In regulation 127, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted namely, —

“Provided that the cap of the price band shall be at least one hundred and five percent of the floor price.”

XXXIV. In regulation 129, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely, —

“(3A) In an issue made through book building process, the allocation in the non-institutional investors’ category shall be as follows:

- (a) one third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than two lakh rupees and up to ten lakh rupees;
- (b) two third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than ten lakh rupees:

Provided that the unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b) may be allocated to applicants in the other sub-category of non-institutional investors.”

XXXV. In regulation 136, in sub-regulation (1), the words, numbers and symbols “it shall appoint underwriters in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993” shall be substituted with the words and symbols “it shall appoint merchant bankers or stock brokers, registered with the Board, to act as underwriters”.

XXXVI. In regulation 137,

- (a) in sub-regulation (1), the words and symbol “public financial institution or by a scheduled commercial bank named in the offer document as the bankers of the issuer.” shall be substituted with the words and symbol “credit rating agency registered with the Board:”.
- (b) in sub-regulation (2), the words “at least ninety five per cent” shall be substituted with the words “hundred per cent”, and the words and symbols “, excluding the proceeds raised for general corporate purposes,” shall be omitted.

XXXVII. In regulation 141, in sub-regulation (2), the words “fifteen days” shall be substituted with the words “four days”.

XXXVIII. In regulation 145 ,

- (a) in sub-regulation (3), after the words “retail individual investors” and before the words “and anchor”, the symbols and words “, non-institutional investors” shall be inserted;



(b) after sub-regulation (4), the following sub-regulation (4A) shall be inserted namely,

“(4A) The allotment of specified securities to each non-institutional investor shall not be less than the minimum application size, subject to the availability of shares in non-institutional investors’ category, and the remaining shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of these regulations.”

XXXIX. In regulation 149, in sub-regulation (2), the words “seven days” shall be substituted with the words “four days” and the words “eighth day” shall be substituted with the words “fourth day”.

XL. In regulation 155,

(a) in clause (f), in the proviso, the words “letter of offer”, appearing after the words “time of filing of” shall be substituted with the words “the red herring prospectus with the Registrar of Companies”.

(b) in clause (f), in the proviso, the words “letter of offer”, appearing after the words “are made in the” shall be substituted with the words “the red herring prospectus”.

(c) clause (h) shall be substituted with the following, namely, -

“(h) that no show-cause notices, excluding proceedings for imposition of penalty, have been issued by the Board and pending against the issuer or its promoters or whole time directors as on the reference date:

In cases where against the issuer or its promoters or whole time directors,

(i) show-cause notice(s) has been issued by the Board or the Adjudicating Officer, in a proceeding for imposition of penalty; or

(ii) prosecution proceedings have been initiated by the Board;

necessary disclosures in respect of such action(s) along with its potential adverse impact on the issuer shall be made in the offer document;”

(d) clause (i) shall be substituted with the following, namely, -

“(i) if the issuer or the promoter or the promoter group or the director of the issuer has settled any alleged violations of securities laws through the settlement mechanism of the Board in the past three years immediately preceding the reference date, then the disclosure of such compliance of the settlement order, shall be made in the offer document;”

(e) clause (l) shall be substituted with the following, namely, -

“(l) for audit qualifications, if any, in respect of any of the financial years for which accounts are disclosed in the offer document, the issuer shall provide the restated financial statements adjusting for the impact of the audit qualifications.

Further, for the qualifications wherein impact on the financials cannot be ascertained, the same shall be disclosed appropriately in the offer document.”

XLI. In regulation 158,

(a) In sub-regulation (1), in clause (a), the words, symbols and numbers “(3) and (4) of sections 81 of the Companies Act, 1956 or sub-section” appearing after the word “sub-sections” and before the symbols and number “(3)”, shall be omitted.

(b) In sub-regulation (1), after clause (a) the following proviso shall be inserted:

“Provided that the provisions of this chapter shall apply to conversion of a loan or an option attached to convertible debt instruments into equity shares as mentioned in clause (a) subject to the provisions of the proviso to sub-section (3) of section 62 of the Companies Act, 2013.”

XLII. In regulation 159,

- (a) in sub-regulation (1), the words “six months” appearing after the words “during the” and before the word “preceding”, shall be substituted by the numbers and words “90 trading days”;
- (b) in the explanation to sub-regulation (1), the words “six months” appearing after the words “during the” and before the word “preceding”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”;
- (c) after sub-regulation (3), the following sub-regulation (4) shall be inserted namely,—
  - “(4) An issuer shall not be eligible to make a preferential issue if it has any outstanding dues to the Board, the stock exchanges or the depositories: Provided that sub-regulation (4) shall not be applicable in a case where such outstanding dues are the subject matter of a pending appeal or proceeding(s), which has been admitted by the relevant Court, Tribunal or Authority, as the case may be.”

XLIII. In regulation 160,

- (a) in clause (c), after the words “dematerialized form”, the following shall be inserted namely,—
  - “before an application seeking in-principle approval is made by the issuer to the stock exchange(s) where its equity shares are listed”;
- (b) in clause (e), after the words “the Board”, the following shall be inserted namely,—
  - “before an application seeking in-principle approval is made by the issuer to the stock exchange(s) where its equity shares are listed”;
- (c) after clause (e), the following clause (f) shall be inserted namely,—
  - “(f) the issuer has made an application seeking in-principle approval to the stock exchange(s), where its equity shares are listed, on the same day when the notice has been sent in respect of the general meeting seeking shareholders’ approval by way of special resolution.”

XLIV. In regulation 162,

- (a) the existing text of the regulation shall be numbered as sub-regulation (1);
- (b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation (2) shall be inserted namely,—
  - “(2) Upon exercise of the option by the allottee to convert the convertible securities within the tenure specified in sub-regulation (1), the issuer shall ensure that the allotment of equity shares pursuant to exercise of the convertible securities is completed within 15 days from the date of such exercise by the allottee.”

XLV. In regulation 163,

- (a) in sub-regulation (1),
  - (i) in clause (f), the following words and symbols appearing after the words “proposed allottees” shall be omitted:
    - “, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue”;
  - (ii) after clause (f), the following clause (fa) shall be inserted namely,—
    - “(fa) the percentage of post preferential issue capital that may be held by the allottee(s) and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue”;
  - (iii) in clause (i), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.

- (iv) after clause (i), the following clause (j) shall be inserted namely,—
- “(j) the current and proposed status of the allottee(s) post the preferential issues namely, promoter or non-promoter.”;
- (b) in sub-regulation (2),
- (i) the words “its statutory auditors” appearing after the words “certificate of” and before the words “before the” shall be substituted by the words “a practicing company secretary”;
- (ii) after sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted namely,—
- “Explanation.—For the purposes of sub-regulation (2), the issuer shall also host the certificate on its website and provide a link for the same in the notice for the general meeting of the shareholders considering the proposed preferential issue.”;
- (c) the existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following namely, —
- “(3) Specified securities may be issued on a preferential basis for consideration other than cash:
- Provided that consideration other than cash shall comprise only swap of shares pursuant to a valuation report by an independent registered valuer, which shall be submitted to the stock exchange(s) where the equity shares of the issuer are listed.”;
- (d) in the existing proviso to sub-regulation (3), after the word “Provided” and before the word “that”, the word “further” shall be inserted.

XLVI. In regulation 164,

- (a) in sub-regulation (1),
- (i) the words “twenty six weeks” appearing after the words “period of” and before the words “or more”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”;
- (ii) in clause a,
- a) the words, “average of the weekly high and low of the” appearing after the word “the” and before the word “volume”, shall be substituted by the number, words and symbol “90 trading days”;
- b) the words “during the twenty six weeks” appearing after the word “exchange” and before the word “preceding”, shall be omitted;
- (iii) in clause b,
- a) the words, “average of the weekly high and low of the” appearing after the word “the” and before the word “volume”, shall be substituted by the number, words and symbol “10 trading days”;
- b) the words “during the two weeks” appearing after the word “exchange” and before the word “preceding”, shall be omitted;
- (iv) after clause b, the following proviso shall be inserted to sub-regulation (1) namely,—
- “Provided that if the Articles of Association of the issuer provide for a method of determination which results in a floor price higher than that determined under these regulations, then the same shall be considered as the floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue.”;
- (b) in sub-regulation (2),
- (i) the words “twenty six weeks” appearing after the words “less than” and before the words “as on”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”;

- (ii) in clause a, the words “sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 or” shall be omitted;
  - (iii) in clause b, the words “weekly high and low of the” appearing after the words “average of the” and before the words “volume weighted”, shall be omitted;
  - (iv) in clause c, the words “weekly high and low of the” appearing after the words “average of the” and before the words “volume weighted”, shall be substituted by the word “10 trading days”;
  - (v) after clause c, the following proviso shall be inserted to sub-regulation (2) namely,—

“Provided that if the Articles of Association of the issuer provide for a method of determination which results in a floor price higher than that determined under these regulations, then the same shall be considered as the floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue.”;
- (c) in sub-regulation (3),
- (i) the words “twenty six weeks” appearing after the words “completion of” and before the words “from the”, shall be substituted by the numbers and words “90 trading days”;
  - (ii) the words, “average of the weekly high and low of the” appearing after the words “reference to” and before the words “volume weighted” shall be substituted by the number, words and symbol “90 trading days”;
  - (iii) the words “twenty six weeks” appearing after the words “during these” and before the words “and if”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”;
  - (iv) after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted namely,—

“Provided that if the Articles of Association of the issuer provide for a method of determination which results in a floor price higher than that determined under these regulations, then the same shall be considered as the floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue.”;
- (d) in sub-regulation (4),
- (i) the existing text of the sub-regulation shall be numbered as clause (a);
  - (ii) in clause (a),
    - a) the words “average of the weekly high and low of the” appearing after the words “less than the” and before the words “volume weighted” shall be substituted by the number, words and symbol “10 trading days”;
    - b) the words “during the two weeks” appearing after the word “exchange” and before the word “preceding”, shall be omitted;
    - c) after clause (a), the following proviso shall be inserted namely,—

“Provided that if the Articles of Association of the issuer provide for a method of determination which results in a floor price higher than that determined under these regulations, then the same shall be considered as the floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue:” ;
  - (iii) after clause (a), the following clause (b) shall be inserted namely,—

“(b) no allotment shall be made, either directly or indirectly, to any qualified institutional buyer who is a promoter or any person related to the promoters of the issuer:

Provided that a qualified institutional buyer who does not hold any shares in the issuer and who has acquired rights in the capacity of a lender shall not be deemed to be a person related to the promoters.

Explanation. — For the purpose of this clause, a qualified institutional buyer who has any of the following rights shall be deemed to be a person related to the promoters of the issuer:-

- (a) rights under a shareholders’ agreement or voting agreement entered into with promoters or promoter group;
- (b) veto rights; or
- (c) right to appoint any nominee director on the board of the issuer.”;

(e) in sub-regulation (5), the words “twelve calendar months” appearing after the words “during the” and before the words “preceding the”, shall be substituted by the number and words “240 trading days”;

(f) in the explanation, the words “twenty six weeks” appearing after the words “the preceding” and before the words “prior to”, shall be substituted by the numbers and words “90 trading days”.

XLVII. In regulation 164A,

- (a) the words “average of the weekly high and low of the” appearing after the words “less than the” and before the words “volume weighted”, shall be substituted by the number, words and symbol “10 trading days”;
- (b) the words “during the two weeks” appearing after the word “exchange” and before the word “preceding”, shall be omitted.
- (c) in sub-regulation (3), in clause (a), in sub-clause (ii), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.

XLVIII. In regulation 165, after the word “independent” and before the word “valuer”, the word “registered” shall be inserted.

XLIX. In regulation 166, the words and numbers “regulation 164 or regulation 165”, shall be substituted with the words, numbers and symbols “, regulations 164, 164A, 164B or 165,”.

L. After regulation 166, the following regulation 166A shall be inserted namely,—

“Other conditions for pricing

166A. (1) Any preferential issue, which may result in a change in control or allotment of more than five per cent. of the post issue fully diluted share capital of the issuer, to an allottee or to allottees acting in concert, shall require a valuation report from an independent registered valuer and consider the same for determining the price: Provided that the floor price, in such cases, shall be higher of the floor price determined under sub-regulation (1), (2) or (4) of regulation 164, as the case may be, or the price determined under the valuation report from the independent registered valuer or the price determined in accordance with the provisions of the Articles of Association of the issuer, if applicable:

Provided further that if any proposed preferential issue is likely to result in a change in control of the issuer, the valuation report from the registered valuer shall also cover guidance on control premium, which shall be computed over and above the price determined in terms of the first proviso:

Provided further that the valuation report from the registered valuer shall be published on the website of the issuer and a reference of the same shall be made in the notice calling the general meeting of shareholders.

(2) Any preferential issue, which may result in a change in control of the issuer, shall only be made pursuant to a reasoned recommendation from a committee of independent directors of the issuer after considering all the aspects relating to the preferential issue including pricing, and the voting pattern of the said committee's meeting shall be disclosed in the notice calling the general meeting of shareholders.

Explanation.—The meeting of the independent directors referred in sub-regulation (2) shall be attended by all the independent directors on the board of the issuer.”;

LI. In regulation 167,

(d) in sub-regulation (1),

(i) the words “three years” appearing after the words “period of” and before the words “from the”, shall be substituted by the number and word “18 months”;

(ii) in the first proviso to sub-regulation (1), the words “three years” appearing after the words “locked-in for” and before the words “from the”, shall be substituted by the number and word “18 months”;

(iii) in the second proviso to sub-regulation (1), the words “one year” appearing after the words “locked-in for” and before the words “from the”, shall be substituted by the words “six months”;

(e) in sub-regulation (2), the words “one year” appearing after the words “period of” and before the words “from the”, shall be substituted by the words “six months”;

(f) in sub-regulation (6),

(i) the words “six months” appearing after the words “period of” and before the words “from the”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”.

(ii) In the proviso to sub-regulation (6), the words “six months” appearing after the words “period of” and before the words “from the”, shall be substituted by the number and words “90 trading days”.

(g) after the proviso to sub-regulation (6), the following sub-regulation (7) shall be inserted namely,—

“(7) Lock-in requirements for an allottee who has become a promoter due to change in control consequent to the preferential issue shall be the same as those applicable to the promoters and promoter group under this regulation.”

LII. After regulation 167, the following regulation 167A shall be inserted namely,—

“Pledge of locked-in specified securities

167A. Specified securities, except SR equity shares, held by the promoters and locked-in under the provisions of these regulations, may be pledged as collateral for a loan granted by a scheduled commercial bank or a public financial institution or a systemically important non-banking finance company or a housing finance company:

Provided that the loan has been granted to the issuer or its subsidiary(ies) for the purpose of financing one or more of the objects of the issue and pledge of specified securities is one of the conditions for sanction of the loan:

Provided further that the lock-in on the specified securities shall continue pursuant to the invocation of the pledge and the entity invoking the pledge shall not be eligible to transfer the specified securities till the lock-in period stipulated in these regulations has expired.”

- LIII. In regulation 171, the clause beginning with “relevant date” shall be re-numbered as clause “(b)”.
- LIV. In regulation 172, in sub-regulation (1),
- (a) in clause (a), the words and symbols “sub-clause (ii) of” shall be omitted.
  - (b) in clause (b), in the proviso, the words, numbers and symbol “under sections 391-394 of the Companies Act, 1956” shall be omitted.
  - (c) in clause (b), in the second proviso, the words, numbers and symbols, “Securities Contracts (Regulation) 1957” shall be substituted with the words, numbers and symbols, “Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957”.
- LV. In regulation 175,
- (d) in sub-regulation (2), after the words “on the basis of a”, the words “preliminary placement document and” shall be inserted.
  - (e) in sub-regulation (2), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- LVI. In regulation 198, in sub-regulation (1), the words, numbers and symbols “it shall appoint underwriters in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993” shall be substituted with the words and symbols “it shall appoint merchant bankers or stock brokers, registered with the Board, to act as underwriters”.
- LVII. In regulation 201,
- (f) sub-regulation (1), shall be substituted with the following, namely,-  
“(1) Subject to the compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, a public issue shall be opened within twelve months from the date of issuance of the observations by the Board under regulation 6.”
  - (g) in sub-regulation (1), clause (a) shall be omitted.
  - (h) in sub-regulation (2), the word “an” shall be substituted with the word “The”.
- LVIII. In regulation 202,
- (i) in sub-regulation (2), in clause (b), the words “fifteen days” shall be substituted with the words “four days”.
  - (j) in sub-regulation (3), in clause (a) and in clause (b), the words “fifteen days” shall be substituted with the words “four days”.
- LIX. In regulation 208, in sub-regulation (2), the words “seven days” and “eight days” shall be substituted with the words “four days” and the words “eighth day” shall be substituted with the words “fourth day”.
- LX. In regulation 228, in clause (c), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- LXI. In regulation 230, after sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely, -
- “(3) The amount for:
- (i) general corporate purposes, and
  - (ii) such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document,
- shall not exceed thirty five per cent. of the amount being raised by the issuer:
- Provided that the amount raised for such objects where the issuer company has not identified acquisition or investment target, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty five per cent. of the amount being raised by the issuer:

Provided further that such limits shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object has been identified and suitable specific disclosures about such acquisitions or investments are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of offer documents.”

- LXII. In regulation 237, in sub-regulation (1), in clause (b),
- (k) in proviso (i), the words “if the promoters and alternative investment funds”, shall be substituted with the words and symbol “if the promoters and alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India.”
  - (l) in proviso (ii), the numbers, words and symbol “391 to 394 of the Companies Act, 1956 or” shall be omitted.
- LXIII. In regulation 244, in sub-regulation (5), in the proviso, the words, number and symbol “or the Companies Act, 1956 (to the extent applicable)” shall be omitted.
- LXIV. In regulation 246, in sub-regulation (5), the words “draft offer document and the” shall be omitted.
- LXV. In regulation 255, the words and symbols “Part E of Schedule VIII” shall be substituted with the words and symbols “Part E of Schedule VI”.
- LXVI. In regulation 260, in sub-regulation (3), the words, numbers and symbols “may appoint underwriters in accordance with Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993” shall be substituted with the words and symbols “shall appoint merchant bankers or stock brokers, registered with the Board, to act as underwriters.”.
- LXVII. In regulation 262,
- (a) in sub-regulation (1), the words and symbol “public financial institution or by one of the scheduled commercial banks named in the offer document as bankers of the issuer:” shall be substituted with the words and symbol “credit rating agency registered with the Board:”.
  - (b) in sub-regulation (2), the words “at least ninety five per cent” shall be substituted with the words “hundred per cent”, and the words and symbol “, excluding the proceeds raised for general corporate purposes,” shall be omitted.
- LXVIII. In regulation 272, in sub-regulation (2), the words “seven days” and “eight days” shall be substituted with the words “four days” and the words “eighth day” shall be substituted with the words “fourth day”.
- LXIX. Regulation 290A shall be omitted.
- LXX. In regulation 292, in sub-regulation (1), in clause (e), the words “wilful defaulter” shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- LXXI. In Schedule II, in clause (1), in sub-clause (a), the words, numbers and symbols, “the Companies Act, 1956 and/or” shall be omitted.
- LXXII. In Schedule VI, in Part A,
- (a) under the heading “Applicability”, in proviso (a), the word “issue” shall be substituted with the words “public issue” and the words “Part B” shall be substituted with the words “Part D”.
  - (b) in Item (1) titled “Cover Pages”, point (1), shall be substituted with the following, namely,- :  
“(1) Front outside cover page shall contain issue and issuer details, details of selling shareholders in tabular format along with their average cost of acquisition and offer for sale details, and other details as may be specified by the Board from time to time.”



- (c) in Item (1) titled "Cover Pages", in point (2) word "outside" shall be substituted with word "inside".
- (d) in Item (4) titled "Offer Document Summary", after para (Q), the following new para shall be inserted, namely, -  
 "(R) Exemption from complying with any provisions of securities laws, if any, granted by SEBI shall be disclosed."
- (e) in Item (5), titled "Risk factor:", in para (G), after clause 31, following clause 32 shall be inserted, namely, -  
 "32. In case the proforma financial statements / restated consolidated financial statements has been provided by a peer reviewed Chartered Accountants who is not statutory auditor of the Company, the Issuer Company shall put this as a Top 10 Risk Factor in its offer document (DRHP/RHP/Prospectus)."
- (f) in Item (8), titled "Capital Structure:", in para (B), in clause (f), the word and number "regulation 33" shall be substituted with the word and number "regulation 31".
- (g) in Item (9), titled "Particulars of the Issue:", in para (A), in clause (8), in sub-clause (e), the words "sub-clause (a) applies" shall be substituted with the words "sub-clauses (a) to (d) applies".
- (h) in Item (10), titled "About the Issuer:",  
 i. in para (E), in clause (e), the word and number "sub-item (1) of Item (17)" shall be substituted with the word and number "sub-item (1) of Item (18)".  
 ii. in para (F), in clause (b), in sub-clause (iii), the word and number "sub-item (1) of Item (17)" shall be substituted with the word and number "sub-item (1) of Item (18)".  
 iii. in para (G), in clause (a), in sub-clause (i), the words and symbol "Permanent Account Number, Aadhaar card number and driving license number" shall be substituted with the words " and Permanent Account Number".  
 iv. in para (G), in clause (a), in sub-clause (ii), after the words and symbol "Passport Number," the words "Aadhaar card number and driving license number" shall be inserted.  
 v. in para (G), in clause (a), in sub-clause (ii), the words "or draft letter of offer" shall be omitted.  
 vi. in para (G), in clause (d), the words, symbol and number "the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 or" shall be omitted.
- (i) in Item (11), titled "Financial Statements",  
 i. in point (I), in para (A), in clause (i), the word "statutory auditor(s)" shall be substituted with the words "statutory auditor(s) or Chartered Accountants".  
 ii. in point (I), in para (A), in clause (i), in sub-clause (d), the word "auditor" shall be substituted with the words "auditor or Chartered Accountants".  
 iii. in point (I), in para (B), in clause (iii), the words "statutory auditor" appearing after the words "as certified by the" shall be substituted with the words "statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".  
 iv. in point (I), in para (B), in clause (iii), the words "statutory auditor of the issuer company" shall be substituted with the words "statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate

- issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) appointed by the issuer company.”.
- v. in point (II), in para (A), in clause (i), the word “statutory auditor(s)” shall be substituted with the words “statutory auditor(s) or Chartered Accountants”.
  - vi. in point (II), in para (A), in clause (i), in sub-clause (d), the word “auditor” shall be substituted with the words “auditor or Chartered Accountants”.
  - vii. in point (II), in para (B), in clause (iii), the word “statutory auditor” appearing after the words “as certified by the” shall be substituted with the words “statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI),”.
  - viii. in point (II), in para (B), in clause (iii), the words “statutory auditor of the issuer company” shall be substituted with the words “statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) appointed by the issuer company.”.
- (j) in Item (14), titled “Other Regulatory and Statutory Disclosures:”
- i. in para (G), in clause (1), the words, numbers and symbols “Companies Act, 2013]” shall be substituted with the words and numbers “Companies Act, 2013”.
  - ii. in para (R), after the table, in the “Note”, the following shall be inserted after point 5., namely, -  
“6. Designated Stock Exchange as disclosed by the respective Issuer at the time of the issue shall be considered for disclosing the price information.”
  - iii. in para (S), in clause (3), the word “actively” shall be substituted with the word “frequently”.
  - iv. after para (T), the following new para shall be inserted, namely, -  
“(U) Exemption from complying with any provisions of securities laws, if any, granted by SEBI shall be disclosed.”
- (k) in Item (15), titled “Offering Information:”
- i. in para (A), in clause (m), the words and symbol “, subject to the availability of the option to receive physical certificates of specified securities in a rights issue for a period of six months from the date of coming into force of these regulations” shall be omitted.
  - ii. in para (B), in clause (21), the words and symbol “issue of certificates (for rights issues)/” shall be omitted.
  - iii. in para (B), in clause (26) in sub-clause (a), in point (vii), the word and number “regulation 19” shall be substituted with the word and number “regulation 56”.
- (l) in Item (17), the words “fast track issue” shall be substituted with the words “fast track public issue” and the words “Part B” shall be substituted with the words “Part D”.
- LXXIII. In Schedule VI, the words “wilful defaulter”, where ever it appears, shall be substituted with the words “wilful defaulter or a fraudulent borrower”.
- LXXIV. In Schedule VI, in Part B,
- (m) in Item (4), in Para (XI) titled “Financial Information of the issuer”,
    - i. in clause (B), the word “statutory auditor” appearing after the words “as certified by the” shall be substituted with the words “statutory auditor or

- chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".
- ii. in clause (B), the words "statutory auditor of the issuer company" shall be substituted with the words "statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".
- LXXV. In Schedule VI, in Part B-1, in Item (14), in Para (B) titled "Other Financial Information",
- iii. in clause (iii) titled "Proforma financial statements", the word "statutory auditor" appearing after the words "as certified by the" shall be substituted with the words "statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".
- iv. in clause (iii), the words "statutory auditor of the issuer company" shall be substituted with the words "statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".
- LXXVI. In Schedule VI, in Part E, in Annexure I, under the table titled "Restated Audited Financials" in Standalone and Consolidated table, the column for "FY4" and "FY5 (Last audited financial year prior to issue opening)" shall be omitted and the column for "FY 3" shall be substituted with "FY3 (Last audited financial year prior to issue opening)".
- LXXVII. In Schedule VII, in clause (23),
- (n) the words "in the last ten years" shall be omitted.
- (o) the words "wilful defaulter", where ever it appears, shall be substituted with the words "wilful defaulter or a fraudulent borrower".
- LXXVIII. In Schedule VI and VII the words "wilful defaulters", where ever appears, shall be substituted with the words "wilful defaulters or fraudulent borrowers".
- LXXIX. In Schedule IX, in clause (11), after the words "draft offer document" and before the words "and the date of closure", the symbol and words "/ draft letter of offer" shall be inserted.
- LXXX. In schedule XI,
- (a) in point. No. 3. and point. No. 4. the words and symbols "(Give Item by Item Description for all the Objects Stated in Offer Document separately in following format)" where ever it appears, shall be substituted with the words and symbols, "(Give item by item description for all the objects, as well as for the sub-heads (if any) given under objects, stated in the offer document separately in following format)".
- (b) in point. No. 3, in the table, a new column with the heading "Source of information / certifications considered by Monitoring Agency for preparation of report" shall be inserted after the column "reply" and before the column "Comments of the monitoring Agency".
- (c) under point. No. 4, in the table (i), a new column with the heading "Source of information / certifications considered by Monitoring Agency for preparation of report" shall be inserted after the column "Item Head" and before the column "Original Cost (as per the Offer Document)".
- (d) under point. No. 4, in the table (ii), a new column with the heading "Source of information / certifications considered by Monitoring Agency for preparation of report" shall be inserted after the column "Item Head" and before the column "Amount as proposed in the Offer Document".
- (e) after point No. 4, a new point No. 5 with the heading "Details of utilization of proceeds stated as General Corporate Purpose (GCP) amount in the offer document", shall be inserted.
- LXXXI. In Schedule XIII,

- (a) in Part A,
- (ii) in clause (7), in sub-clause (b), after point (i), the following proviso shall be inserted namely, —  
 “Provided that the cap of the price band shall be at least one hundred and five per cent of the floor price.”
- (iii) in clause (10), sub-clause (j) shall be substituted with the following, namely, -  
 “j) There shall be a lock-in of 90 days on fifty per cent of the shares allotted to the anchor investors from the date of allotment, and a lock-in of 30 days on the remaining fifty per cent of the shares allotted to the anchor investors from the date of allotment.”
- (iv) in clause (15), in sub-clause (b) ,
- a) the words and symbol “and non-institutional investors”, appearing after the words “institutional buyers” and before the symbol and words “, other than”, shall be omitted;
- b) after the words “individual investors” and before the words “and allotment”, the symbol and words “, non-institutional investors” shall be inserted.
- (b) in Part D, in clause (a), the word, number and symbols “clause 15 (c)” shall be substituted with the word, number and symbol “clause 15 (b)”.

LXXXII. In Schedule XIV ,

- (a) in the heading of Part A, after the word “allotment”, the words “for retail individual investors” shall be inserted;
- (b) after Part A, the following Part A1 shall be inserted namely, —

**“Part A1 - Illustration explaining the procedure of allotment for non-institutional investors**

**Example A.**

- (1) Total number of specified securities on offer @₹ 600 per share: 1 crore specified securities.
- (2) Specified securities on offer for non-institutional investors’ category: 15 lakhs specified securities.
- (3) Out of the total non-institutional investors’ category,
  - (a) Reserved for applications above two lakhs rupees and up to ten lakhs rupees -i.e., five lakhs of specified securities
  - (b) Balance for applications above ten lakhs rupees - ten lakhs specified securities
- (4) The issue is over-all subscribed by 2.5 times, whereas the non-institutional investors’ category mentioned in 3 (a) above is oversubscribed 4 times and 3(b) is oversubscribed 50 times.
- (5) The issuer has fixed the minimum lot size as 20 specified securities (falling within the range of ten thousand to fifteen thousand rupees) and in multiples thereof.
- (6) Therefore, the minimum application size for non-institutional investors’ is 340 specified securities (i.e. the application value should be more than two lakh rupees and in multiples of one lot (i.e. 20 specified securities) thereof.
- (7) A total of five hundred investors have applied in the issue under 3(a) category, in varying number of application size i.e. between 17 to 83 lots (340 to 1660 specified securities), based on the maximum application size of up to ten lakh rupees.
- (8) Out of the five hundred investors, there are five non-institutional investors A, B, C, D and E who have applied as follows: A has applied for 340 specified securities. B has applied for 500 specified securities. C has applied for 1,000 specified securities. D has applied for 1,400 specified securities and E has applied for 1,660 specified securities.

(9) As the allotment to a non-institutional investor cannot be less than the minimum application size, subject to availability of shares, the remaining available shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis.

The actual entitlement shall be as follows:

Sr. No.	Name of Investor	Total Number of specified securities applied for	Total number of specified securities eligible to be allotted
1	A	340	340 specified securities (i.e. the minimum applications size)
2	B	500	340 specified securities (i.e. the minimum applications size) + 29 specified securities $[\{5,00,000 - (500 * 340)\} / \{20,00,000 - (500 * 340)\}] * 160$ (i.e. 500-340)
3	C	1,000	340 specified securities (i.e. the minimum lot of Rs 2 Lakhs) + 119 specified securities $[\{5,00,000 - (500 * 340)\} / \{20,00,000 - (500 * 340)\}] * 660$ (i.e. 1,000-340)
4	D	1,400	340 specified securities (i.e. the minimum lot of Rs 2 Lakhs) + 191 specified securities $[\{5,00,000 - (500 * 340)\} / \{20,00,000 - (500 * 340)\}] * 1,060$ (i.e. 1,400-340)
5	E	1,660	340 specified securities (i.e. the minimum lot of Rs 2 Lakhs) + 238 specified securities $[\{5,00,000 - (500 * 340)\} / \{20,00,000 - (500 * 340)\}] * 1,320$ (i.e. 1,660-340)

NOTE: For category 3(b), calculation methodology shall be similar to above.

**Example B.**

(1) Total number of specified securities on offer @ ₹ 600 per share: 1 crore specified securities.

(2) Specified securities on offer for non-institutional investors' category: fifteen lakh specified securities.

(3) Out of the total non-institutional investors' category,

(a) Reserved for applications above two lakhs rupees and up to ten lakhs rupees -i.e., five lakhs of specified securities

(b) Balance for applications above ten lakhs rupees - ten lakhs specified securities

(4) The issue is overall subscribed by 7 times, whereas the non-institutional investors' category, reserved for applications above two lakh rupees and up to ten lakh rupees -i.e., five lakhs of specified securities is oversubscribed 89.17 times.

(5) The issuer has fixed the minimum lot size as 20 specified securities (falling within the range of ten thousand to fifteen thousand rupees) and in multiples thereof.

(6) Therefore, the minimum application size for non-institutional investors' is 340 specified securities (i.e. the application value should be more than two lakh rupees and in multiples of one lot (i.e. 20 specified securities) thereof.

(7) A total of fifty thousand investors have applied in the issue under 3(a) category, in varying number of application sizes i.e. between 17 - 83 lots (340 to 1660 specified securities), based on the maximum application size of up to ten lakh rupees.

(8) As per the allotment procedure, the allotment to non-institutional investors shall not be less than the minimum application size, subject to availability of shares.

(9) Since the total number of specified securities on offer to the non-institutional investors' applications under 3(a) is 5,00,000 and the minimum application size is 340 specified securities, the maximum number of non-institutional investors' who can be allotted this minimum application size should be 1,471. In other words, 1,471 applicants shall get the minimum application size and the remaining 48,529 applicants will not get any allotment.

The details of the allotment shall be as follows:

No. of lots	No. of shares at each lot	No. of investors applying at each lot	Total no. of shares applied for at each lot	No. of investors who shall receive lots according to minimum application size (to be selected by a lottery)
A	B	C	D= (B*C)	E
17	340	2,500	8,50,000	74= (1,471/50,000) *2,500
18	360	1,000	3,60,000	29
19	380	1,000	3,80,000	29
20	400	1,000	4,00,000	29
21	420	1,000	4,20,000	29
22	440	1,000	4,40,000	29
23	460	1,000	4,60,000	29
24	480	500	2,40,000	15
25	500	500	2,50,000	15
26	520	500	2,60,000	15
27	540	500	2,70,000	15
28	560	1,000	5,60,000	29
29	580	1,000	5,80,000	29
30	600	500	3,00,000	15
31	620	1,000	6,20,000	29
32	640	1,000	6,40,000	29
33	660	1,000	6,60,000	29
34	680	1,000	6,80,000	29
35	700	1,000	7,00,000	29
36	720	500	3,60,000	15
37	740	1,000	7,40,000	29
38	760	1,000	7,60,000	29
39	780	1,000	7,80,000	29
40	800	1,000	8,00,000	29
41	820	1,000	8,20,000	29
42	840	1,000	8,40,000	29
43	860	500	4,30,000	15
44	880	1,000	8,80,000	29
45	900	1,000	9,00,000	29
46	920	1,000	9,20,000	29
47	940	1,000	9,40,000	29
48	960	1,000	9,60,000	29
49	980	1,000	9,80,000	29

50	1000	1,000	10,00,000	29
51	1020	1,000	10,20,000	29
52	1040	1,000	10,40,000	29
53	1060	1,000	10,60,000	29
54	1080	500	5,40,000	15
55	1100	500	5,50,000	15
56	1120	500	5,60,000	15
57	1140	500	5,70,000	15
58	1160	500	5,80,000	15
59	1180	500	5,90,000	15
60	1200	500	6,00,000	15
61	1220	500	6,10,000	15
62	1240	500	6,20,000	15
63	1260	500	6,30,000	15
64	1280	500	6,40,000	15
65	1300	500	6,50,000	15
66	1320	500	6,60,000	15
67	1340	500	6,70,000	15
68	1360	500	6,80,000	15
69	1380	500	6,90,000	15
70	1400	500	7,00,000	15
71	1420	500	7,10,000	15
72	1440	500	7,20,000	15
73	1460	500	7,30,000	15
74	1480	500	7,40,000	15
75	1500	500	7,50,000	15
76	1520	500	7,60,000	15
77	1540	500	7,70,000	15
78	1560	500	7,80,000	15
79	1580	500	7,90,000	15
80	1600	500	8,00,000	15
81	1620	500	8,10,000	15
82	1640	500	8,20,000	15
83	1660	500	8,30,000	15
<b>TOTAL</b>		<b>50,000</b>	<b>4,48,50,000</b>	<b>1,471</b>

NOTE: For applications under category 3(b), calculation methodology shall be similar to above."

LXXXIII. In Schedule XVI,

- (a) in clause (1), word and symbol "Schedule IV" shall be substituted with the word and symbol "Schedule III".
- (b) in clause (2), in sub-clause (a) the word and symbol "Schedule IV" shall be substituted with the word and symbol "Schedule III".

AJAY TYAGI, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./579/2021-22]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
  - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
  - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
  - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
  - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
  - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
  - (f) December 6, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
  - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
  - (h) January 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
  - (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (j) May 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
  - (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
  - (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
  - (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
  - (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
  - (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
  - (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.



- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.